हिमाचल प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

(2023–2024)

Annual Administrative Report

(2023-2024)

अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	4
2.	स्वास्थ्य विभाग का प्रशासनिक ढांचा	5
3.	नियुक्ति एवं पदोन्नति का ब्यौरा	6
4.	स्वास्थ्य विभाग में मुख्य श्रेणियों के स्वीकृत एवम् भरे पदों का ब्यौरा	7–8
5.	प्रदेश में चिकित्सा संस्थानों का ढांचा तथा जिलावार ब्यौरा	9–11
6.	बजट का ब्यौरा	12
7.	चिकित्सा संस्थानों के भवन निर्माण का ब्यौरा	13
8.	स्वास्थ्य एवं अन्य सम्बन्धित सूचक	14
9.	उपचारित रोगियों का विवरण	15–16
10.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्र में की जा रही गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण	17–25
11.	**राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम**	
	(i) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	26–38
	(ii) प्रजनन एवम् बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम	38–44
	(iii) राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता नियन्त्रण कार्यक्रम्	44
	(iv) राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम	44
	(v) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	45–46
	(vi) राष्ट्रीय क्षयरोग उन्मुलन कार्यक्रम	46–49
	(vii) राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियन्त्रण कार्यक्रम	49–50
	(viii) राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम	50–56

12.	**अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रम**	
	(i)राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	56–58
	(ii)राष्ट्रीय एम्बुलैंस सेवा	58–60
	(iii)आई. डी. एस. पी.	60–61
	(iv)राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	61
	(v) कैंसर, मधुमेह, हृदय रोगों तथा स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियन्त्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	62–63
	(vi) वृद्धों के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	63
	(vii) कायाकल्प कार्यक्रम	63–65
	(viii) जन्म–मृत्यु पंजीकरण प्रणाली	66–67
	(ix) सूचना, शिक्षा एवम् सम्प्रेषण कार्यक्रम	67–68
13.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	
	(i) राज्य संस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिमहल, शिमला	69–71
	(ii) क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र छेब, कांगड़ा	71–72
14.	सूचना का अधिकार अधिनियम	73–74
15.	प्रदेश में राज्य, जिला तथा खण्ड स्तर के कार्यालयों में दूरभाष की सूची	75–78

1.प्रस्तावना

प्रदेश सरकार लोगों का जीवन स्तर सुधारने में कटिबद्ध है और इस दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं जिनमें आरोग्यकारी, निवारण एवम् पुनर्वासन जैसी सेवाएं सम्मिलित हैं, जो एक कल्याणकारी राज्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। स्वास्थ्य वितरण प्रणाली में सुधार, परिवार कल्याण, मातृ एवम् शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन के परिणाम–स्वरूप प्रदेश ने कुछ स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचकांकों में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। इन उपलब्धियों से प्रदेश सरकार की कटिबद्धता, जनता की सक्रिय भागीदारी व सहयोग और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वालों की निष्ठा व समर्पण का पता चलता है।

हिमाचल प्रदेश की 90% जनसंख्या गांव में रहती है और इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य संस्थाओं में सुधार करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है ताकि सभी को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सके। यद्यपि राष्ट्रीय औसत की तुलना में हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य सूचक काफी बेहतर हैं फिर भी स्वास्थ्य सेवाओं में और अधिक सुधार के लिए विभाग कृत संकल्प है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां प्राप्त करने के पश्चात, विभाग अब उपलब्धियों की द्वितीय कड़ी, ''सेवा की गुणवत्ता एवं कारगरता'' पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रहा है। प्रदेश में रोगों पर निगरानी रखने हेतु व संक्रामक रोगों पर नियन्त्रण के लिए एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम को लागू किया गया है। मातृ–शिशु स्वास्थ्य पर केन्द्रित आर.सी.एच–II कार्यक्रम पहले ही आरम्भ किया जा चुका है तथा इन सभी प्रयासों को सार्थक बनाने के लिए प्रदेश नागरिक स्वास्थ्य प्रशासनिक क्षमता एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए निरंतर प्रयासरत है। जिसके अन्तर्गत स्वास्थ्य उप–केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के ढांचे को मजबूत किया जा रहा है तथा स्वास्थ्य सेवाओं में जनभागीदारी को बढ़ावा दिया गया है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य उद्देश्य 'सभी को स्वास्थ्य' के लक्ष्य को प्राप्त करना है। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी बाधाओं को हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि लोगों के जीवन में सुधार आ सके ।

2. स्वास्थ्य विभाग का प्रशासनिक ढांचा(Administrative Structure of Health Department)

प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रशासनिक ढांचे का विवरण इस प्रकार हैः–

राज्य–स्तर पर

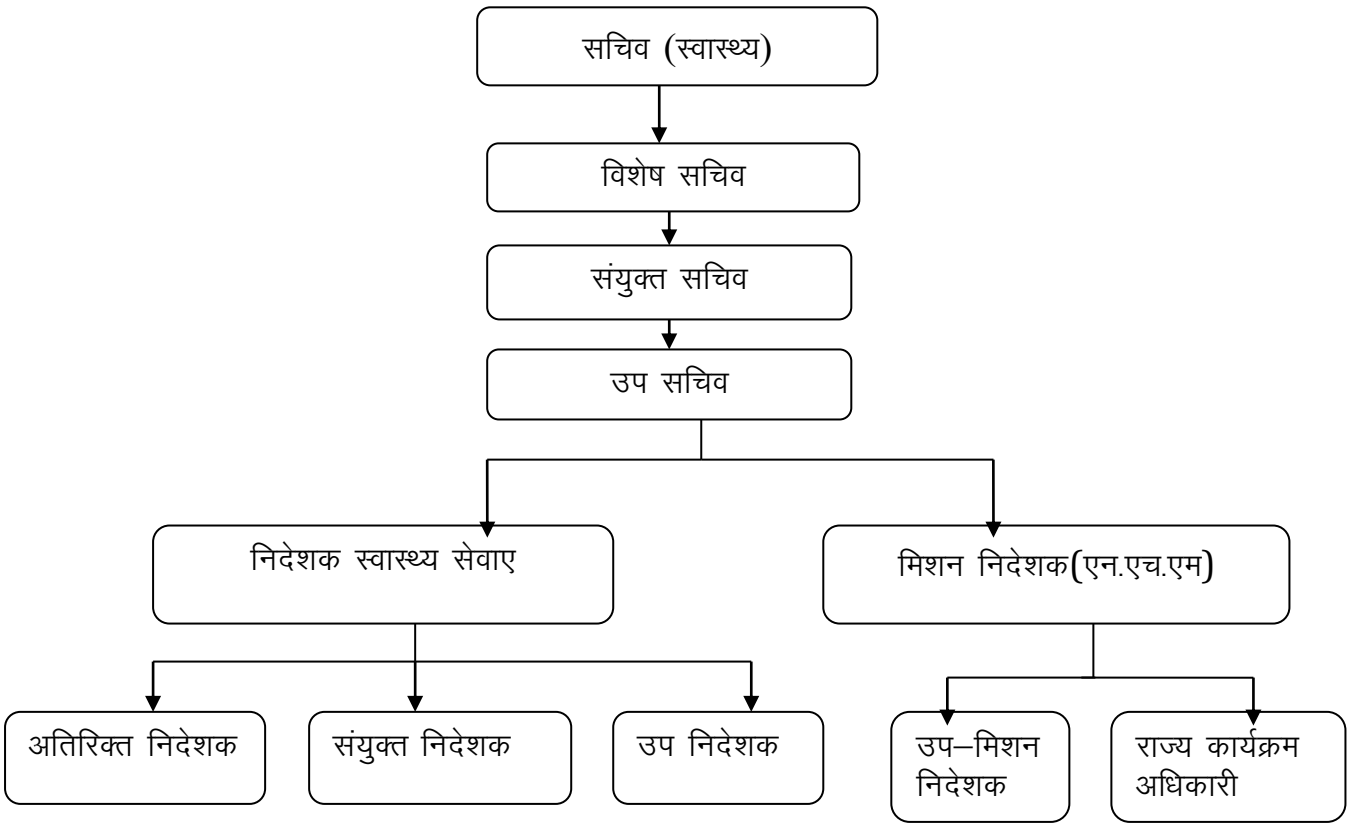

जिला–स्तर पर

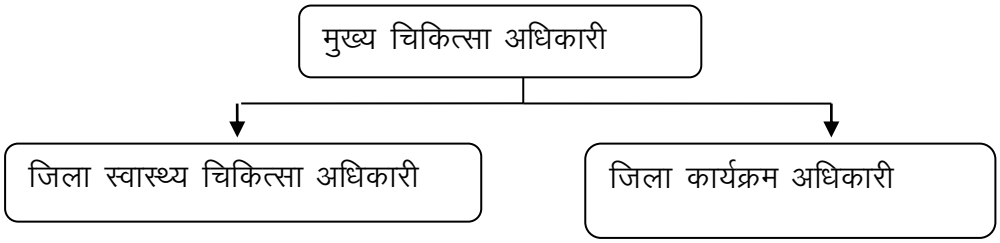

खण्ड–स्तर पर

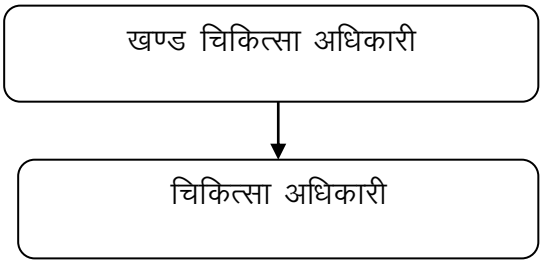

3. वर्ष 2023–24 में नई नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों का ब्यौरा

क्र0सं0	पद का नाम	अनुबन्ध	नियमित
I	**नियुक्ति**		
1.	चिकित्सक	18	408
2.	परिचारिका	117	522
3.	सांख्यिकीय सहायक	–	7
4.	लिपिक	–	11
5.	कनिष्ट कार्यालय सहायक (IT)	9	3
6.	लैब एसिस्टैंट	6	28
7.	फार्मासिस्ट	26	140
8.	रेडियोग्राफर	–	2
9.	फिजियोथिरैपिस्ट	7	–
10.	ऑपथैलमिक ऑफिसर	–	2
11.	एम0एल0टी0 ग्रेड–II	33	101

II	**पदोन्नति**	
क्र0सं0	पद का नाम	संख्या
1.	वार्ड सिस्टर से मैट्रन	39
2.	स्टाफ नर्स से सिस्टर टियुटर	9
3.	पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता से पुरूष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक	41
4.	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता से महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक	80
5.	ओ.टी.ए से सी.एस.एस.डी. पर्यवेक्षक	5
6.	सीनियर लैब तकनीशियन से चीफ लैब तकनीशियन	4
7.	फार्मासिस्ट से चीफ फार्मासिस्ट	54
8.	रेडियोग्राफर से वरिष्ट रेडियोग्राफर	5
9.	वरिष्ट रेडियोग्राफर से तकनीकी अधिकारी	2
10	लिपिक/कनिष्ट सहायक से वरिष्ट सहायक	27
11.	वरिष्ट सहायक से अधीक्षक	25
12.	वरिष्ठ आशुलिपिक से निजी सहायक	2
13.	कनिष्ट आशुलिपिक से वरिष्ठ आशुलिपिक	2
14.	लैब एसिस्टैंट से सीनियर लैब तकनीशियन	43
15.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लिपिक	20
16.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से प्लास्टर सहायक	1

4. स्वास्थ्य विभाग में मुख्य श्रेणियों के स्वीकृत एवं भरे पदों का ब्यौरा इस प्रकार है :–

क्र0सं0	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे पद
I	**प्रशासन**		
1	निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं	1	1
2	मिशन निदेशक, (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन)	1	1
3	अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक (प्रशासनिक)	1	1
4	संयुक्त स्वास्थ्य निदेशक	4	4
5	उप स्वास्थ्य निदेशक	6	1
6	सहायक निदेशक (जनसांख्यिकी एवम अनुसन्धान)	1	0
7	सहायक निदेशक (सांख्यिकीय)	1	1
8	उप नियंत्रक (वित्त एवं लेखा)	1	1
9	सहायक नियंत्रक (वित्त एवं लेखा)	19	19
19	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	12	11
11	चिकित्सा अधीक्षक	19	10
12	खंड चिकित्सा अधिकारी	77	54
13	प्रधानाचार्य प्रशिक्षण	2	1
14	चिकित्सक	2816	2666
15	सहायक निदेशक नर्सिंग	1	0
II	**नर्सिंग**		
16	नर्सिंग अधीक्षक	23	22
17	पी0 एन0 ओ0	11	9
18	मैट्रन /उप /सहायक नर्सिंग अधीक्षक	120	104
19	सिस्टर टियुटर	47	10
20	वार्ड सिस्टर /नर्सिंग सिस्टर	681	602
21	स्टाफ नर्स	3918	3168
22	दाई	481	325
23	नर्सिंग औरडरली	55	55

क्र0 सं0	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे पद
III	**पैरामेडिकल स्टाफ**		
24	ऑपथैलमिक ऑफिसर	184	100
25	चीफ फार्मासिस्ट	138	123
26	फार्मासिस्ट	1290	1049
27	चीफ लैब तकनीशियन	44	41
28	सीनियर लैब तकनीशियन	961	560
29	लैब एसिस्टैंट	331	175
30	सीनियर रेडियोग्राफर	43	33
31	रेडियोग्राफर	280	170
32	सी.एस.एस.डी. पर्यवेक्षक	29	28
33	ओ.टी.ए	317	97
IV	**मिनिस्ट्रीयल स्टाफ**		
34	प्रशासनिक अधिकारी	6	0
35	अधीक्षक ग्रेड –I	28	26
36	अधीक्षक ग्रेड–II	117	108
37	विधि अधिकारी	7	2
38	वरिष्ठ सहायक	267	241
39	लिपिक	639	390
40	कनिष्ट कार्यालय सहायक (IT)	331	169
41	निजि सचिव	1	1
42	निजि सहायक	6	6
43	वरिष्ठ आशुलिपिक	11	2
44	कनिष्ठ आशुलिपिक	16	0
45	आशुलिपिक	75	20

46	सांख्यिकीय विद्	11	8		VI	अन्य स्टाफ		
47	सांख्यिकीय सहायक	44	21		55	एसिस्टैंट मलेरिया आफिसर	17	0
48	कनिष्ठ सांख्यिकीय सहायक	14	4		56	एसिस्टैंट लैपरोसी आफिसर	8	4
V	आईईसी एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता				57	लैपरोसी वर्कर	69	1
49	एम0ई0आई0ओ0	12	10		58	फिजियोथिरैपिस्ट	37	15
50	स्वास्थ्य शिक्षक	102	85		59	डाईटिशियन	11	1
51	पुरूष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक	423	387		60	चालक	558	206
52	महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक	358	225		61	कुक	35	0
53	पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता	2072	186		62	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3079	1889
54	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	2301	1059					

पदों का सृजन

विभाग द्वारा दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक 01 खण्ड चिकित्सा अधिकारी, 04 चिकित्सा अधिकारी, 01 वरिष्ठ रेजिडेंट, 30 आकस्मिकता चिकित्सा अधिकारी, 04 फिजियोथेरेपिस्ट, 01 आहार विशेषज्ञ, 01 स्वास्थ्य शिक्षक, 03 मैटर्न, 09 वार्ड सिस्टर, 83 स्टाफ नर्स, 03 एम0एल0टी0 ग्रेड–2, 02 ओ0टी0ए0, 02 लिपिक, 01 वरिष्ठ सहायक, 01 चालक, 05 चतुर्थ क्षेणी कर्मचारी तथा 01 माली के नए पदों का सृजन किया गया ।

5. प्रदेश में चिकित्सा संस्थानों का ढांचा तथा जिलावार ब्यौरा

क0सं0	चिकित्सा संस्थान	संख्या
चिकित्सा संस्थान		
1	चिकित्सा महाविद्यालय	6
2	राज्य मातृ और शिशु चिकित्सालय	1
3	एआईएमएसएस	1
4	आंचलिक चिकित्सालय	3
5	क्षेत्रीय चिकित्सालय	9
6	नागरिक चिकित्सालय	91
7	ई.एस.आई.चिकित्सालय	1
8	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	106
9	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	583
10	ई.एस.आई औषधालय/संस्थान	16
11	स्वास्थ्य उपकेन्द्र	2113
	कुल	2930
विशिष्ट स्वास्थ्य संस्थाएं		
1	मानसिक स्वास्थ्य एवम् पुनर्वास चिकित्सालय	1
2	टी बी अस्पताल	2
3	जिला क्षयरोग केन्द्र	12
4	जिला क्षयरोग उपकेन्द्र	74
5	माइक्रोस्कोपिक केन्द्र	218
6	अस्थाई कुष्ठ रोग चिकित्सालय/वार्ड	3
7	जिला आर.टी.आई क्लिनिक	12
8	आर.टी.आई उप–क्लिनिक	59
अन्य सुविधाएंः		
1	सी.टी.स्केन	19
2	डायलिसिस केन्द्र	15
3	कीमोथैरेपी	11
4	कैथलैव	1
5	विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं में स्वीकृत बिस्तरों की संख्या	16699

प्रदेश में जिलावार चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ई.एस.आई. औषधालयों तथा स्वास्थ्य उप–केन्द्रों का ब्यौरा 31–3–2024 तक इस प्रकार हैः–

क0सं0	जिला	चिकित्सालय	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	ई.एस.आई. औषधालय/ संस्थान	स्वास्थ्य उप–केन्द्र
1	बिलासपुर	5	7	37	1	120
2	चम्बा	10	5	46	0	177
3	हमीरपुर	6	2	32	0	150
4	कांगड़ा	23	19	87	1	440
5	किन्नौर	3	3	23	0	35
6	कुल्लू	6	8	25	0	108
7	लाहुल–स्पिति	3	1	16	0	37
8	मण्डी	21	18	88	0	335
9	शिमला	17	17	115	2	252
10	सिरमौर	6	8	50	3	148
11	सोलन	9	9	39	7	175
12	ऊना	6	9	25	2	136
	हि0 प्र0	**115**	**106**	**583**	**16**	**2113**

स्वास्थ्य संस्थान जहां सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध करवाई है।

क 0 सं0	संस्था का नाम
1	इंदिरा गांधी चिकित्सालय शिमला
2	डॉ0 आर0पी0जी0एम0सी0 टांडा
3	डॉ0 वाई0एस0पी0चिकित्सा महाविधालय नाहन
4	पंडित जवाहर लाल नैहरु चिकित्सा महाविधालय चम्बा
5	राधा कृष्णन चिकित्सा महाविधालय हमीरपुर
6	लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सा महाविधालय नैरचोक
7	आंचलिक चिकित्सालय धर्मशाला
8	आंचलिक चिकित्सालय, मण्डी
9	आंचलिक चिकित्सालय, शिमला,
10	क्षेत्रीय चिकित्सालय, बिलासपुर
11	क्षेत्रीय चिकित्सालय, सोलन
12	क्षेत्रीय चिकित्सालय, कुल्लु
13	क्षेत्रीय चिकित्सालय, ऊना
14	नागरिक चिकित्सालय, नूरपुर,

15	नागरिक चिकित्सालय, पालमपुर,
16	नागरिक चिकित्सालय, सुन्दरनगर,
17	नागरिक चिकित्सालय, रोहडू,
18	नागरिक चिकित्सालय, रामपुर,
19	नागरिक चिकित्सालय, पांवटा साहिब
20	नागरिक चिकित्सालय, नालागढ

प्रदेश में भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य उप–केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर खोलने हेतू निर्धारित मापदण्ड का ब्यौरा इस प्रकार है

	जनसंख्या मापदण्ड (भारत सरकार)	राज्य में स्थिति
स्वास्थ्य उप–केन्द्र	3000	3421
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	20000	12399
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	80000	68193

ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की सबसे छोटी इकाई स्वास्थ्य उप–केन्द्र होता है जिसके माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के समस्त कार्यक्रमों जैसे जननी शिशु सुरक्षा, टीकाकरण, परिवार कल्याण तथा छोटी–छोटी बीमारियों की रोकथाम तथा बचाव के लिए सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके साथ–साथ इन स्वास्थ्य उप–केन्द्रों में कार्यरत महिला एवं पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों की जानकारी भी देते हैं ।

6. बजट का ब्यौरा (Budget Details)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनिमय तथा दन्त स्वास्थ्य विभाग को छोड़ कर वर्ष 2023–24 के बजट एवं व्यय का विवरण इस प्रकार है :–

मांग संख्या		बजट (करोड़ों में) (स्वीकृत)	संषोधित बजट	व्यय (करोड़ों में)
9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1507.42	1573.98	1459.55
15	पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	19.53	18.29	17.81
19	समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	3.06	6.13	5.87
24	लेखन एवं मुद्रण सामग्री	0.15	0.15	0.15
31	अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र उप योजना	141.33	150.00	122.67
32	अनुसूचित जाति उप योजना	250.27	257.01	209.52
कुल		**1921.76**	**2005.56**	**1815.57**

बजट 2024–25

मांग संख्या		बजट (करोड़ों में)
9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (एलोपैथी)	1623.87
15	पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	20.32
19	समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	3.06
24	लेखन एवं मुद्रण सामग्री	0.16
31	अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र उप योजना	155.73
32	अनुसूचित जाति उप योजना	284.08
	कुल	**2087.22**

7. चिकित्सा संस्थानों के भवन निर्माण का ब्यौरा

प्रदेश सरकार स्वास्थ्य संस्थानों को सरकारी भवन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भवन निर्माण कार्य को प्राथमिकता दे रही है और इस कार्य के लिए बजट का प्रर्याप्त प्रावधान किया गया है। वर्ष 2023–24 में निर्माण कार्य के लिए Demand (9 & 32) 58.79 करोड रु0 की राशी का प्रावधान था तथा 52.27 करोड रुपये व्यय किये गए । वर्ष 2024–25 में भवन निर्माण कार्य के लिए 74.13 करोड़ रु0 का प्रावधान है।

जिलावार सिविल कार्य की स्थिति

जिला का नाम	जिलावार कुल कार्य	पूर्ण कार्य की प्रतिशतता					
		100%	76 to 90%	51 to 75%	26 to 50%	1 to 25 %	कार्य शुरू नहीं किया की %
बिलासपुर	33	1	5	4	1	2	20
चम्बा	11	0	3	2	3	0	3
हमीरपुर	20	4	3	0	1	4	8
कांगड़ा	79	3	11	11	7	3	44
किन्नौर	10	0	1	1	0	2	6
कुल्लू	27	14	1	4	1	1	6
लाहुल–स्पिति	4	1	0	0	0	0	3
मण्डी	79	13	7	8	8	10	33
शिमला	47	1	5	4	2	6	29
सिरमौर	11	0	1	2	1	1	6
सोलन	18	1	3	2	2	2	8
ऊना	20	6	3	3	0	1	7
हि0 प्र0	359	44	43	41	26	32	173

8.स्वास्थ्य एवं अन्य सम्बन्धित सूचक

प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को प्राथमिकता देने व स्वास्थ्य ढांचे को विकसित करने के परिणामस्वरूप प्रदेश के स्वास्थ्य सूचकांकों में सकारात्मक परिणाम निकले हैं। ये सूचकांक राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर हैं ।

क्र0सं0	पैरामीटर	राष्ट्रीय स्तर पर	हिमाचल प्रदेश	+/-
1	जन्म दर (प्रति हजार जनसंख्या)	19.5	15.3	-4.2
2	मृत्यु दर (प्रति हजार जनसंख्या)	6.0	6.8	+0.8
3	शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार जीवित जन्म)	28	17	-11
4	कुल प्रजनन दर''	2.1	1.6	-0.5
5	जन्म के समय लिंग अनुपात (2017–2019 वर्षों में)	904	949	+45
6	जीवन की प्रत्याशा दर (2014–2018 वर्षों में)	69.4	72.9	+3.5
	पुरूष	68.2	69.6	+1.4
	महिला	70.7	76.8	+6.1
7	जनसंख्या 2011 के अनुसार			
	महिलाएं प्रति हजार पुरूष	943	972	+29
	0–6 आयुवर्ग में लिंग अनुपात	919	909	-10
	जनसंख्या का घनत्व	368	123	-245
	कुल जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	68.8	90.00	+21.2
	साक्षरता दर प्रतिशतता (कुल)	72.99	82.80	+9.81
	पुरूष	80.89	89.53	+8.64
	महिला	64.64	75.93	+11.29

नमूना पंजीयन पद्धति SRS 2020 के अनुमानों के अनुसार

9.उपचारित रोगियों का विवरण

(i) वर्ष 2023 में विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं में उपचारित रोगियो का विवरण :–

सस्थान	अन्तरंग रोगी		बहिरंग रोगी	
	नए रोगी	पुराने रोगी	नए रोगी	पुराने रोगी
1. चिकित्सालयों में	487466	1093476	9859136	1278933
2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो में	46225	39111	2113647	282478
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो में	5513	2566	3427101	511824
4. ई0एस0 आई0 चिकित्सालय एवं औषधालय में	4973	16547	346637	98087
योग	**544177**	**1151700**	**15746521**	**2171322**

विभिन्न चिकित्सा सस्थाओं में किए गए एम आर आई ,सी टी स्कैन अल्ट्रा साउड एक्स रे का विवरण:–

एम आर आई	सी टी स्कैन	अल्ट्रा साउड	एक्स रे
11375	92765	305407	166050

(ii) शल्य चिकित्सा उपचारित रोगियों का विवरण :–

	नए रोगी	पुराने रोगी
अन्तरंग रोगी	60934	170535
बहिरंग रोगी	217074	70756
योग	**278008**	**241291**

(ii) मनोविकार उपचारित रोगियों का विवरण :–

	नए रोगी	पुराने रोगी
अन्तरंग रोगी	2040	4815
बहिरंग रोगी	72913	53815
योग	**74953**	**58630**

(iv) फीजियोथरेपी उपचारित रोगियों का विवरण :–

	नए रोगी	पुराने रोगी
अन्तरंग रोगी	13765	2715
बहिरंग रोगी	45212	26906
योग	**58977**	**29621**

(v) प्रयोगशाला परीक्षणः–

मद्	रक्त	मल	मूत्र	बलगम	अन्य	योग
पैथोलोजिकल	219142	69	325316	10737	29958	500564
बैक्टीरियोलोजिकल	59014	67	28273	149392	41082	705351
हैमटोलोजी	3031583	13376	55526	8166	15202	1939090
ब्लड कैमिस्ट्री	3531935	0	36342	0	6131	3574408
पेरासिटोलोजी	68755	1934	10324	0	15819	46083
अन्य	533373	37	110211	9351	194362	847334
योग	7443802	15483	565992	177646	302554	8505477

(vi) करसना डायग्नोस्टिकस प्रयोगशाला परीक्षणः–

मद्	रक्त	मल	मूत्र	बलगम	अन्य	योग
पैथोलोजिकल	416370	9265	156182	153	557241	1139211
बैक्टीरियोलोजिकल	32513	0	17741	1492	62	51808
हैमटोलोजी	1336734	0	1071	0	714653	2052458
ब्लड कैमिस्ट्री	5375515	0	47610	359	942967	6366451
पेरासिटोलोजी	68657	0	9028	0	0	77685
सेरोलोजी	7903	0	6922	0	3161	17986
अन्य	421458	0	12069	133	2478041	2911701
योग	7659150	9265	250623	2137	4696125	12617300

10. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्र में किये जा रहे गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण

स्वस्थ परिवार ही स्वस्थ समाज का आधार है। ''पहला सुख निरोगी काया'' इस विचार धारा के साथ वर्तमान सरकार प्रदेश के दूरस्थ भागों तक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्व है। विभाग राज्य के प्रत्येक वर्ग की स्वास्थ्य समस्या से निपटने के लिए आधुनिक सुपरस्पेशलिटी स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस मरीजों को सार्वभैमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु वचनवद्व है।

प्रदेश में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए समय समय पर प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं, ताकि लोगों के जीवन में सुधार आ सके । इसी प्रयास में मण्डी, धर्मशाला, सोलन, कुल्लू, बिलासपुर व ऊना में जिला स्तर पर क्षेत्रीय डायग्नोस्टिक केन्द्रों की स्थापना की गई है। अब प्रदेश में 19 स्वास्थ्य संस्थानों में सी.टी.स्कैन की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है प्रदेश सरकार स्वास्थ्य संस्थानों एवं उपकरणों की मुरम्मत व रख–रखाव हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवा रही है।

हिमाचल प्रदेश के मैडिकल कॉलेजों से अपनी शिक्षा/प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले सभी चिकित्सकों को प्रदेश सरकार द्वारा रिक्त पदों पर अनुबन्ध के आधार पर नौकरी प्रदान की जा रही है।

विभाग ने यह भी निर्णय लिया है कि पुरूष व महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को केवल स्वास्थ्य उप–केन्द्रों में ही तैनात किया जाये तथा स्टॉफ नर्सों की तैनाती उन्हीं स्वास्थ्य संस्थानों पर की जा रही है जहां पर अन्तरंग रोगी सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

चिकित्सकों व पैरा–मैडीकल स्टॉफ को स्थानान्तरण नीति के अनुसार ही सरकार के अनुमोदन के उपरान्त ही जनहित में प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष के द्वारा स्थानान्तरण के आदेश जारी किये जाते हैं। इस अवधि के दौरान प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा अर्जित उपलब्धियों की जानकारी इस प्रकार हैं।

निशुल्क दवाई योजना

विभाग ने मुख्यमंत्री निशुल्क दवाई योजना 28.9.2017 से आरम्भ की है, जिसके तहत आंचलिक चिकित्सालयों, क्षेत्रीय चिकित्सालयों, नागरिक चिकित्सालयों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 456 दवाईयां एवं 131 अन्य उपयोग होने वाली सामग्री, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 174 दवाईयां एवं 53 अन्य उपयोग होने वाली सामग्री और स्वास्थ्य केन्द्रों में 42 दवाईयां प्रदान की जा रही है। दवाईयों की खरीद विभाग ई–निविदा के माध्यम से रेट कॉन्ट्रेक्ट द्वारा सुनिश्चित कर रहा है।

औषधि क्रय नीति

वर्तमान समय में प्रचलित सरकार की औषधि क्रय नीति के अनुरूप औषधि–क्रय के मद में उपलब्ध कुल वार्षिक बजट के विरूद्ध बजट के अधिकांश भाग की औषधियां निदेशालय स्वास्थ्य विभाग शिमला के माध्यम से क्रय की जा रही हैं। इस क्रय हेतु उपरोक्त निदेशालय हर वर्ष समाचार पत्रों के माध्यम से खुली निविदाएं आमन्त्रित करती है तथा सचिव (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में गठित "राज्य स्तरीय भण्डार क्रय समिति" की देखरेख में गुणवत्ता व मूल्य की तुलना करने के पश्चात् औषधियों की दरें व स्त्रोत अनुमोदित किए जाते हैं। राज्य स्तरीय भण्डार क्रय समिति की सहायता हेतू विशेषज्ञों की एक उप–समिति का भी गठन किया गया है।

नई नीति के अनुसार अब औषधि क्रय हेतु मांग पत्र रोगी कल्याण समिति के स्तर पर तैयार किया जा रहा है तथा इस हेतु औषधि क्रय के मद में उपलब्ध पूरे बजट को मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से उनको उपलब्ध करवाया जा रहा है। औषधि क्रय हेतु आवंटित कुल बजट के 15 प्रतिशत् अंश को आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए निर्धारित किया गया है।

विभाग की इस क्रय नीति के चलते स्वास्थ्य विभाग उच्च गुणवत्ता की औषधियां अत्यंत प्रतियोगी व कम मूल्य पर क्रय करने में सक्ष्म हुआ है एवम् संकट–प्रबन्धन में अधिक दक्षता आई है, क्योंकि जीवन–रक्षक औषधियों की उपलब्धता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है।

स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा निगम

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा निगम का गठन अगस्त 2023 को किया गया । इसमें स्वास्थ्य मंत्री को अध्यक्ष, प्रधान सचिव / स्वास्थ्य सचिव को उपाध्यक्ष और 5 अन्य निदेशक बनाए गए, जिसमें एसीएस वित्त, निदेशक उद्योग, कंट्रोलर स्टोर, निदेशक स्वास्थ्य और प्रबंध निदेशक एचपीएमएससी शामिल है। राज्य चिकित्सा सेवा निगम सभी दवाओं, औषधियों, सर्जिकल, चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों, चिकित्सा उपकरणों, मशीनरी और सेवाओं की खरीद और वितरण के लिए राज्य खरीद एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है।

स्थाई विभागीय क्रय समिति

स्वास्थ्य विभाग में उपकरणों की खरीद हेतु सचिव (स्वास्थ्य) हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में स्थाई विभागीय क्रय समिति का गठन किया गया है। क्रय समिति की देखरेख में ही उपकरणों का क्रय किया जा रहा है तथा इस समिति में विशेषज्ञ चिकित्सकों को भी आमन्त्रित किया जाता है। जो उपकरण/मशीनरी आदि स्वास्थ्य विभाग में क्रय की जानी होती है उसके लिए समाचार–पत्रों के माध्यम से खुली निविदाएं आमन्त्रित कर गुणवत्ता व दर की तुलना कर स्त्रोतों को

अनुमोदित किया जाता है। वर्ष 2018–19 में हिमाचल प्रदेश में जैम पोर्टल शुरू किया गया है, जिसके तहत विभाग ई–निविदा से औषधि क्रय कर रहा है।

प्रसव–पूर्व सुविधा केन्द्रों का पंजीकरण

पिछले दशक में प्रदेश में महिला पुरूष अनुपात में जो गिरावट आई थी उसमें इस दशक में वृद्धि दर्ज की गई। यह अनुपात अब 968 से 972 हो गया है । 0–6 आयु वर्ग में भी लिंग अनुपात में वृद्धि हुई है अब यह 896 से 909 हो गया है । भ्रूण हत्या को रोकने के लिए विभाग ने कई कदम उठाए हैं और ''प्रसव पूर्व निदान केन्द्रों" का पंजीकरण पूरे प्रदेश में अनिवार्य कर दिया गया है। गर्भावस्था में बच्चे का लिंग बताना सम्बंधित विधान के अन्तर्गत एक अपराध है इसका प्रचार–प्रसार लगातार किया जा रहा है ।

पंचायतीराज और स्वास्थ्य कार्यक्रम

विभाग की एक और उपलब्धि, पंचायती राज को स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों के साथ जोड़ना है। अच्छा स्वास्थ्य अनेक बातों पर निर्भर करता है, जैसे पर्याप्त भोजन, आवास व्यवस्था, मूल सुविधाएं, पीने के साफ पानी की उपलब्धता, सुचारू जीवन शैली, पर्यावरण प्रदूषण तथा संक्रामक रोगों के प्रकोप से बचाव इत्यादि। अच्छे स्वास्थ्य की सीमा महज़ चिकित्सक की देख–रेख से कहीं अधिक विस्तृत और विशाल है।

इसके लिए पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया है। इस समिति में स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों जैसे महिला एवं बाल विकास, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा इत्यादि विभागों के सदस्य और कुछ मनोनीत सदस्य सम्मिलित हैं।

सामुदायिक वित्तीय प्रबन्धन

सामुदायिक वित्तीय प्रबन्धन द्वारा वित्त साधन जुटाना इसलिए ज़रूरी समझा जा रहा है कि बढ़ती हुई तकनीक से लैस सरकारी अस्पताल भी ऐसे हो, जो गैर–सरकारी चिकित्सालयों की बराबरी कर सकें। इसके लिए सरकार ने आंचलिक /क्षेत्रीय/नागरिक चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ''रोगी कल्याण समितियों" का गठन किया है । यह समितियां अपने आप में पूर्ण स्वायत्त हैं और समुदाय से वित्त जुटा कर अस्पताल को बेहतर बनाने में सक्ष्म हैं।

विकेन्द्रीकरण के आधार पर स्थानीय निर्णय, स्थान विशेष पर लिए जाने के अधिकार से रोगियों के कल्याण हेतु यह एक प्रगतिशील पग है। इस समय प्रदेश में आंचलिक/क्षेत्रीय/ नागरिक चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 790 रोगी कल्याण समितियां पंजीकृत की गई हैं।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से भारत सरकार प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत चिकित्सा संस्थाओं को सीधे रूप से उपकरण तथा अन्य सम्बन्धित सामग्री उपलब्ध करवा रही है। विभिन्न स्वास्थ्य सूचकों में सुधार लाने हेतू कार्यक्रम के अन्तर्गत चिकित्सा संस्थाओं में 24 घंटे प्रसव की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए चरणबद्ध तरीके से चिकित्सा संस्थानों का चयन किया गया है।

प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि स्वास्थ्य प्रबन्धन और सूचना प्रणाली में सूचना विज्ञान तकनीकि को आरम्भ किया जाएगा। इसके साथ–साथ प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के कार्यालयों व चिकित्सा खण्डों में भी कम्पयूटर उपलब्ध करवा दिये गये हैं और इन्हे प्रबन्धन सूचना प्रणाली से जोडा गया है।

प्रदेश में बेहतर तथा सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए स्वास्थ्य देख–रेख कार्यक्रमों को पुनर्गठित एवम् पुनर्भिविन्यासित किया गया है। विभाग राज्य में चिकित्सा संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए इन में नवीनतम उपकरण तथा विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध करवा रही है ताकि लोगों को विशेषज्ञता–युक्त सेवाओं को उपलब्ध करने के लिए राज्य से बाहर न जाना पड़े।

स्वास्थ्य कर्मियों की कमी की पूर्ति हेतु प्रयास

प्रदेश में चिकित्सा संस्थाओं में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया समय समय पर की जा रही है। इसके साथ साथ विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं में मैडीकल एवम् पैरा–मैडीकल कर्मियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों को इन्दिरा गॉधी मैडीकल कॉलेज शिमला, राज्य संस्थान,स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण परिमहल, शिमला तथा क्षेत्रीय परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र छेब,कांगड़ा में विभिन्न प्रशिक्षणों का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए चिकित्सकों की नियुक्तियां समय–समय पर की जा रही हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी से निपटने के लिए सरकार चिकित्सकों को विशेष प्रशिक्षण के लिए प्रदेश में तथा प्रदेश से बाहर प्रशिक्षण देने के लिए प्रयत्नशील है। प्रदेश में चिकित्सा संस्थाओं में परिचारिकाओं की कमी को पूरा करने के लिए सरकार कारगर नीति तैयार कर रही है ताकि अधिक से अधिक नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र/संस्थान खोलने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा सके ।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश उत्तरी भारत में अग्रिम स्थान अर्जित करने वाला राज्य माना जाता है और भारत के पहाड़ी राज्यों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए विकास के लिए आदर्श राज्य बनने में अग्रसर है। प्रशासन को प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से विभाग ने वित्तीय एवम् प्रशाासनिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया है और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक शक्तियों को प्रत्यायोजित किया गया है।

रोगियों को सही दवाइयां मिल पाना सुनिश्चित करने और एक समान दवाइयों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश में आवश्यक दवा–नीति तैयार की गई है। इस नीति के अन्तर्गत दवाइयां इस तरह से रखी जा रही है ताकि उपलब्ध दवाइयों की धनराशि से दवाइयों की मांग की अधिकतम पूर्ति की जा सके।

प्रदेश सरकार मलेरिया, कुष्ठ रोग, पोलियो, गिल्लड़ इत्यादि रोगों के उन्मूलन तथा अन्य बीमारियों जैसे एड्स, मधुमेह, पानी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों इत्यादि के मामलों में कमी लाने के लिए वचनबद्ध है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार अधिक संसाधन जुटा रही है। प्रदेश में इन संसाधनो की प्राप्ति आन्तरिक तथा बाह्य स्त्रोतों से की जा रही है। क्षय–रोग तथा एड्स रोग नियन्त्रण कार्यक्रमों के लिए विश्व–बैंक से सहायता मिल रही है।

चिकित्सालयों में सुरक्षा

चिकित्सालयों में सुरक्षा, रोगियों से मिलने वाले व्यक्तियों के प्रवेश को नियन्त्रित और अवांछनीय तत्वों के प्रवेश पर रोक लगाने, भीड़ को नियन्त्रित करने, जिससे रोगियों तथा सेवाएं प्रदान करने वालों को असुविधा न हो, को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से सरकार ने 100 व इससे अधिक बिस्तरों की संख्या वाले चिकित्सालयों में सुरक्षा का कार्य कानूनन गठित व पंजीकृत निजी सुरक्षा एजैंसियों तथा गृह रक्षा विभाग को सौंपा गया है।

प्रोत्साहन राशि

(क) अनुबन्ध पर नियुक्तियों के लिए सामान्य चिकित्सकों को विशेष प्रोत्साहन राशि:-

(i) चम्बा जिला के पांगी, भरमौर तथा तीसा, जिला लाहौल–स्पिति के सभी खण्ड, किन्नौर जिला के सागंला, पुह तथा निचार, जिला शिमला के चिडगांव, नेरवा तथा टिक्कर और मंडी जिला के चोहार घाटी के पधर खण्ड में अनुबन्ध पर नियुक्तियों के लिए सामान्य चिकित्सकों को विशेष प्रोत्साहन पैंतीस हजार (35,000) रूपये प्रति माह का प्रावधान है।

(ii) किन्नौर जिला के निचार खण्ड के भावानगर, कुल्लू जिला के निरमण्ड तथा आनी, मंडी जिला के करसोग और जंजैहली, चम्बा जिला के पुखरी, चौरी, किहार तथा समोट,सिरमौर जिला के शिलाई तथा संगड़ाह, कागड़ा जिला के महाकाल और जिला शिमला के ननखड़ी, मतियाना,कोटखाई तथा कुमारसैन खण्डों में यह प्रोत्साहन राशि तीस हजार (30,000) रूपये प्रति माह का प्रावधान है।

(iii) राज्य के अन्य मेडिकल खण्ड (उपरोक्त को छोड़कर) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय में यह प्रोत्साहन राशि बीस हजार (20,000) रूपये प्रति माह का प्रावधान है ।

(ख) अनुबन्ध पर नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों (OBG, Surgery, Anaesthesia,Paediatrics, Radiologist, Medicine, Ortho, Eye and ENT only) को विशेष प्रोत्साहन राशि :-

(i) चम्बा जिला के पांगी, भरमौर तथा तीसा, जिला लाहौल–स्पिति के सभी के खण्ड, किन्नौर जिला के सागंला, पुह तथा निचार, जिला शिमला के चिडगांव, नेरवा तथा टिक्कर और मंडी जिला के चोहार

धाटी के पधर खण्ड में अनुबन्ध पर नियुक्तियों के लिए विशेष प्रोत्साहन राशि पचपन हजार (55,000) रूपये प्रति माह का प्रावधान है।

(ii) किन्नौर जिला के निचार खण्ड के भावानगर, कुल्लू जिला के निरमण्ड तथा आनी, मंडी जिला के करसोग और जंजैहली, चम्बा जिला के पुखरी, चौरी, किहार तथा समोट,सिरमौर जिला के शिलाई तथा संगड़ाह, कागड़ा जिला के महाकाल और जिला शिमला के ननखड़ी, मतियाना,कोटखाई तथा कुमारसैन खण्डों में यह प्रोत्साहन पैंतालीस हजार (45,000) रूपये प्रति माह का प्रावधान है।

(iii) राज्य के अन्य मेडिकल खण्ड (उपरोक्त को छोड़करद्ध और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय में यह प्रोत्साहन राशि पैंतीस हजार (35,000) रूपये प्रति माह का प्रावधान है।

आदर्श स्वास्थ्य संस्थान

माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा बजट भाषण 2023–24 में प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में एक स्वास्थ्य संस्थान को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई थी।

उपरोक्त बजट आश्वासन के अनुसरण हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में कुल 69 स्वास्थ्य संस्थान (प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 01 स्वास्थ्य संस्थान, लाहौल और स्पीति विधानसभा क्षेत्र में 02 स्वास्थ्य संस्थानों) को ''आदर्श स्वास्थ्य संस्थान'' के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों के विकसित होने से स्थानीय निवासियों की जिला अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों पर निर्भरता कम हो रही है व लोग अपने नजदीकी स्वास्थ्य संस्थान में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।

इन आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 134 प्रकार के लैब टेस्ट की सुविधा के साथ 06 विशेषज्ञ चिकित्सक (मेडिसन, सर्जरी, स्त्री रोग, बाल चिकित्सा, ऐन्सथिसियॉलोजी व रेडियॉलोजी) के साथ मेडिकल स्टॉफ, अल्ट्रासाउंड और डिजिटल एक्स–रे की सुविधाएं उपलबध करवाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त केवल चयनित आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में ही चरणबद्व तरीके से नवीनतम अत्याधुनिक एम.आर.आई. व सीटी स्कैन की सुविधाएं भी उपलबध करवाई जानी प्रस्तावित है। वर्तमान में प्रत्येक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में स्वीकृत पदों के विरूद्ध 06 विशेषज्ञ डॉक्टर, 08 स्टॉफ नर्सिज, 02 ऑपरेशन थिएटर ऐसिसटेंट व अन्य पैरामेडिकल स्टॉफ की नियुक्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रयास कर रहा है।

माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा बजट भाषण 2024–25 की घोषणा अनुसार प्रत्येक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में मशीनरी और उपकरणों की खरीद हेतु चरणबद्व तरीके ₹ 1.00 करोड़ प्रदान किये जाऐगें। प्रथम चरण में 52 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों (6 आदर्श संस्थानों को PM- ABHIM के अन्तर्गत, 30 आदर्श संस्थानों को NHM द्वारा, 16 आदर्श संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा) में मशीनरी और उपकरणों की खरीद हेतु बजट प्रवाधान किया जा रहा है। वर्तमान मे राज्य सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2024–25 में 16 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों के लिए ₹ 15.36 लाख की राशि प्रदान की जा चुकी है।

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों के रूप में विकसित किए जाने वाले प्रस्तावित अस्पतालों का नामवार व विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार ब्यौरा निम्न प्रकार है–

क्र0 स0	जिले का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	स्वास्थ्य संस्थान का नाम	क्र0 सं	जिले का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	स्वास्थ्य संस्थान का नाम
1	**बिलासपुर**	घुमारवी	सी.एच.घुमारवी	25		जसवां–प्रागपुर	सी.एच. डाडासीबा
2		बिलासपुर सदर	आर.एच. बिलासपुर	26		नूरपुर	सी.एच. नूरपुर
3		श्री नैना देवी जी	सी.एच. घवांडल	27		ज्वाली	सी.एच. ज्वाली
4		झंडूता	सी.एच.सी झंडूता	28		फतेहपुर	सी.एच. फतेहपुर
5	**चंबा**	पांगी भरमौर	सी.एच. भरमौर	29		इंदौरा	सी.एच. इंदौरा
6		डलहौजी	सी.एच. किहार	30	**किन्नौर**	किन्नौर	आर.एच. रिकोंगपियो
7		भटियात	सी.एच.च्वारी	31	**कुल्लू**	कुल्लू	आर.एच. कुल्लू
8		चंबा	सी.एच.सी. साहू	32		मनाली	सी.एच. मनाली
9		तीसा	सी.एच. तीसा	33		बंजार	सी.एच. बंजार
10	**हमीरपुर**	भोरंज	सी.एच. भोरंज	34		आनी	सी.एच. आनी
11		हमीरपुर	सी.एच. टौणीदेवी	35	**लाहौल और स्पीति**	केलांग	आर.एच. केलांग
12		सुजानपुर	सी.एच. सुजानपुर	36		केलांग	सी.एच. काजा
13		बड़सर	सी.एच. बड़सर	37	**मंडी**	करसोग	सी.एच. करसोग
14		नादौन	सी.एच. नादौन	38		सेराज	सी.एच. बगसैयड
15	**कांगड़ा**	कांगड़ा	सी.एच.सी. तियारा	39		सुंदरनगर	सी.एच. सुंदरनगर
16		धर्मशाला	जेड.एच. धर्मशाला	40		नाचन	सी.एच. गोहर
17		शाहपुर	सी.एच. शाहपुर	41		बल्ह	सी.एच. रिवालसर
18		नगरोटा बगवां	सी.एच. नगरोटा बगवां	42		सरकाघाट	सी.एच. सरकाघाट
19		पालमपुर	सी.एच. पालमपुर	43		मंडी सदर	जेड.एच. मंडी
20		जयसिंगपुर	सी.एच. जयसिंगपुर	44		दरंग	सी.एच. पधर
21		बैजनाथ	सी.एच. बैजनाथ	45		धर्मपुर	सी.एच.धर्मपुर
22		सुलाह	सी.एच. थुरल	46		जोगिंदरनगर	सी.एच. जोगिंदरनगर
23		देहरा	सी.एच. देहरा	47	**शिमला**	शिमला शहरी	डीडीयू जेड.एच. शिमला
24		ज्वाला जी	सी.एच. ज्वाला जी	48		शिमला ग्रामीण	सी.एच.सुन्नी

49		कसुम्पटी	सी.एच.जुन्गा	60	**सोलन**	अर्की	सी.एच. अर्की
50		ठियोग	सी.एच. ठियोग	61		सोलन	आर.एच. सोलन
51		रामपुर	एम.जी.एम.एस. सी. खनेरी (रामपुर)	62		कसौली	सी.एच. धर्मपुर
52		रोहडू	सी.एच. रोहडू	63		दून	सी.एच.बद्दी
53		चौपाल	सी.एच. चौपाल	64		नालागढ़	सी.एच.सी. नालागढ़
54		जुब्बल कोटखाई	सी.एच.सी. कोटखाई	65	**ऊना**	हरोली	सी.एच. हरोली
55	**सिरमौर**	पच्छाद	सी.एच. सराहन	66		चिंतपुरनी	सी.एच. अंब
56		श्री रेणुका जी	सी.एच. संगड़ाह	67		कुटलैहड़	सी.एच.सी. थाना कलां
57		शिलाई	सी.एच. शिलाई	68		गगरेट	सी.एच. सी. दौलतपुर
58		पांवटा	सी.एच. पांवटा साहिब	69		ऊना	आर.एच. ऊना
59		नाहन	पी.एच.सी. धगेरा				

दृष्टि हिमाचल प्रदेश–2030 (राज्य दूरदर्शिता दस्तावेज)

हिमाचल प्रदेश में सतत विकास के लक्ष्यों (SDGs) को कार्यान्वयन और सम्बधित राज्य स्तरीय योजनाओं की निगरानी के लिए योजना विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। वर्ष 2019 में, राज्य दृष्टि दस्तावेज, (''**दृष्टि हिमाचल प्रदेश–2030, सतत विकास लक्ष्य**'') विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और प्रगति की निगरानी के लिए तैयार किया गया था। जिसके अर्न्तगत अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग राज्य में सभी सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय के लिए नोडल एजेंसी है। अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग के सहयोग से योजना विभाग ने शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान (HIPA) में संबधित विभागों के लिए क्षमता निमार्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग राज्य में सतत विकास लक्ष्य–3 के समग्र कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार नोडल विभाग है। दृष्टि हिमाचल प्रदेश–2030 के अनुसार, राज्य मे सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी के लिए समय सीमा 2022 और 2030 तय की गई है।

हिमाचल प्रदेश मे सतत विकास लक्ष्य–3 की वर्तमान प्रगति

''दृष्टि हिमाचल प्रदेश–2030'' के अनुसार राज्य द्वारा अपनाए गए सभी सतत विकास लक्ष्य–3 संकेतकों का उल्लेख, समय–सीमा और प्रगति के साथ नीचे दी गई तालिका में किया गया है:-

SDGs targets HP as per Drishti Himachal Document

Sr. No	Key Health Indicator	SDG target by 2022 (State	Current Position	Target by 2030	Remarks/ issue
1	MMR	<45	46	<25	On Track
2	Birth attended by SBA	90%	95.68	100	Achieved
3	IMR	22	17	10	Achieved
4	HIV	90% ART	100%	>90%	Achieved
5	TB incidence	<100	211	<20	Off Track
6	NCD deaths	50	Report awaited	40	On Track
7	De-addiction facilities	DH+CH+CHC-193	101	PHC-538	Off Track
8	Trauma Care	All CHCs	<50%	100%CHC+PHC	Off Track
9	Immunization	100	94%	100	On Track
10	Tobacco	17%	11.6%	5	Achieved
11	Disaster Management	Training up to block level	<25%	100%	Off Track

Himachal ranks 7th in Health index 2021 in India

11. राष्ट्रीय कार्यक्रम (National Programme)

विभाग में चलाए जा रहे विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों का ब्यौरा इस प्रकार हैः–

i) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission)

भारत सरकार ने ग्रामीणजनों, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गो, महिलाओं और बच्चों को व्यापक समाकलित स्वास्थ्य देखरेख प्रदान करने के उद्देश्य से देशभर में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005–2012) आरम्भ किया गया था। इसके उपरान्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरूआत भारत सरकार द्वारा साल 2013 में की थी, यह मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) और राष्ट्रीय मिशन (NUHM) को मिलाकर बना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में, राज्य और जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के सशक्तिकरण के लिए तकनीकी कार्यक्षमताओं तथा स्वच्छता व साफ–सफाई के साथ स्वास्थ्य के समेकन को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त परिव्यय की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रमों के विकेन्द्रीकरण और निधियों के प्रवाह के साथ यह स्वास्थ्य के जिला प्रबन्धन के लिए –सर्वशिक्षा अभियान की तरह ही भूमिका तैयार करेगा ।

इस मिशन के अन्तर्गत मुख्य लक्ष्य निम्न प्रकार से हैं :–

- शिशु मृत्यु दर घटाकर 25/1000 जीवित जन्मों तक लाना ।
- मातृ मृत्यु दर घटाकर 100/100,000 ।
- समग्र प्रजनन दर को 1.8 पर स्थिर रखना ।
- प्रदेश को मलेरिया मुक्त करना और इससे होने वाली मृत्यु को शून्य करना है।
- काला अजार मुक्त करना एवं लगातार ऐसी स्थिति बनाये रखना।
- हिमाचल प्रदेश में कुष्ठ रोग की व्याप्ति दरः 0.20/10,000 से भी कम है और इस रोग को समाप्त किया जाना है।
- क्षय रोग डॉट सेवायेंः समूची मिशन अवधि के दौरान 85 प्रतिशत उपचार दर बनाए रखना ।
- प्रथम सन्दर्भित रेफरल इकाइयों का उपयोग, जो कि 20 प्रतिशत से कम है, बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक लाना।

इस मिशन के अंतर्गत निम्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

जननी–शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

15 अगस्त 2011 से जननी–शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का विधिवत शुभारम्भ किया गया। सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सभी गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को निम्नलिखित सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही है :–

निःशुल्क जांच :–सभी गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य संस्थान में पंजीकरण करवाने से लेकर शिशु जन्म तक सभी प्रकार की जांच निःशुल्क प्रदान की जा रही है।

निःशुल्क परीक्षण :–गर्भावस्था के दौरान खून, पेशाब टेस्ट व अल्ट्रासोनोग्राफी आदि सभी परीक्षण निःशुल्क किये जा रहे हैं।

निःशुल्क दवाइयां :–गर्भावस्था के दौरान सभी आवश्यक दवाइयां निःशुल्क दी जा रही हैं।

निःशुल्क आहार :–अस्पताल में सामान्य प्रसव के दौरान 3 दिन तथा ऑप्रेशन से प्रसव के दौरान 7 दिनों तक निःशुल्क आहार दिया जा रहा हैं।

निःशुल्क वाहन की सुविधा :–गर्भावस्था के दौरान घर से स्वास्थ्य संस्थान आने के लिए राष्ट्रीय एम्बुलैंस स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत निःशुल्क एम्बुलैंस सेवा 108 व जटिलता होने पर एक स्वास्थ्य संस्थान से दूसरे स्वास्थ्य संस्थान तक निःशुल्क एम्बुलैंस सेवा तथा वापिस घर पहुंचाने के लिए जननी एक्सप्रैस 102 वाहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

निःशुल्क प्रसवः– सामान्य प्रसव व आप्रेशन द्वारा प्रसव करवाने पर किसी भी अस्पताल में शुल्क नहीं लिया जा रहा हैं।

नवजात शिशु के लिए एक साल तक निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा :– जन्म से एक वर्ष की आयु तक शिशु को प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में मुफ्त जांच व उपचार की सुविधा दी जा रही हैं।

जननी एक्सप्रैस 102 एम्बुलैंस का शुभारम्भ माननीय मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेष के कर कमलों द्वारा 15 नवम्वर, 2014 को प्रदेश की जनता को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत लोगों को समर्पित की गई जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार एवं जी0वी0के0 ई0एम0आर0आई0 के संयुक्त प्रयासो द्वारा सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के अर्न्तगत चलाई जा रही है, जिसके अर्न्तगत गर्भवती माता और नवजात शिशु को अस्पताल से घर तक छोडने की निःशुल्क सुविधा दी जा रही है। यह सेवा टोल फ्री नम्वर 102 के माध्यम से उपलब्ध होती है और इस का संचालन प्रातः 8 बजे से सांय 8 बजे तक किया जा रहा है। 102 पर की गई कोई भी कॉल जान बचाने जैसी आपातकालीन कॉल के रुप में ली जाती है। जननी एक्सप्रैस 102 एम्बुलैंस सेवा नई उपलब्धियां हासिल कर रही है।

जिला–वार संस्थागत प्रसव 2023–24

जिला	संस्थागत प्रसव	घरेलु प्रसव	कुल प्रसव	प्रतिषतता
बिलासपुर	**2922**	**2**	**24**	**99.12**
चम्बा	**5374**	**194**	**1839**	**72.55**
हमीरपुर	**6830**	**4**	**10**	**99.80**
कांगडा	**16153**	**6**	**133**	**99.15**
किन्नौर	**366**	**0**	**47**	**88.62**
कुल्लू	**4944**	**10**	**209**	**95.76**
लाहौल स्पिति	**36**	**0**	**7**	**83.72**
मण्डी	**8647**	**0**	**374**	**95.85**
शिमला	**12860**	**0**	**162**	**98.76**
सिरमौर	**5923**	**7**	**515**	**91.90**

सोलन	**9950**	**0**	**190**	**98.13**
ऊना	**5969**	**16**	**73**	**98.53**
हि0 प्र0	**79974**	**239**	**3583**	**95.44**

भारत सरकार ने एन0एच0एम0 के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार को 11 मातृ एवं शिशु अस्पताल विंग को मंजूरी दी है जिनमें से चार कार्यशील हैं , 5 कार्य का प्रगति पर है और 2 का कार्य अभी शुरू होना है। मातृ एवं शिशु अस्पताल विंग की नवीनतम स्थिति इस प्रकार है :

क्रं सं0	संस्थान का नाम	बिस्तरो की संख्या	काम की शुरूआत	कार्यकारी एजेंसी	पूर्ण कार्य की प्रतिशतता	टिप्पणी
1	के0एन0एच0	100	सितंबर, 2013	एच0पी0पी0डब्ल्यू0 डी0	100%	कार्यशील
2	सी0एच0 सुन्दरनगर	50	सितंबर, 2017	सी0पी0डब्ल्यू0डी0	100%	कार्यशील
3	जेड0एच0 मंडी	100	अप्रैल 2017	एच0एस0सी0सी0	100%	कार्यशील
4	आर0एच0 कुल्लू	100	फरवरी 2019	बी0एस0एन0एल0	100%	कार्यशील
5	डा0 आर0पी0जी0एच0 सी0, टांडा	200	सितंबर, 2019	सी0पी0डब्ल्यू0डी0	80%	कार्य प्रगति पर है।
6	सी0एच0 नूरपूर	50	दिसंबर 2019	बी0एस0एन0एल0	90%	कार्य प्रगति पर है।
7	आर0एच0 उना	100	दिसंबर 2019	एच0पी0पी0डब्ल्यू0 डी0	95%	कार्य प्रगति पर है।
8	आर0एच0 बिलासपुर	50	अप्रैल 2021	एच0पी0पी0डब्ल्यू0 डी0	NA	कार्य प्रगति पर है।
9	डा0 वाई0एस0पी0जी0 एम0सी0, नाहन	50	एफ0सी0ए0 अनुमोदन लंबित	सी0पी0डब्ल्यू0डी0	NA	कार्य शुरू नहीं हुआ है।
10	आर0एच0 सोलन	50	ड्राइंग लंबित	एच0पी0पी0डब्ल्यू0 डी0	NA	कार्य प्रगति पर है।
11	आर0एच0 हमीरपुर	100	ड्राइंग लंबित	एच0पी0पी0डब्ल्यू0 डी0	NA	कार्य शुरू नहीं हुआ है।

जननी सुरक्षा योजना(Janani Suraksha Yojana)

नगद आर्थिक सहायता किसे मिलेगी :–

1. गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिलाएं(बी.पी.एल. परिवार जिनका प्रसव–घर पर हो या किसी भी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में हो या किसी भी मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में हो।
2. अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र की महिलाएं जिनका प्रसव किसी भी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में हो।

कितनी आर्थिक सहायता मिलेगी

1. सरकार ने जननी सुरक्षा कार्यक्रम (JSY) को 17 दिसंबर 2019 को जननी सुरक्षा कार्यक्रम प्लस (JSY PLUS) में अपग्रेड कर दिया है और प्रोत्साहन राशि के वितरण के लिए वित्तीय मानदंडों को संशोधित किया है । बी0पी0एल0 गर्भवती महिलाओं के मामले में होम डिलीवरी के लिए रू0 500/– का वित्तीय लाभ और रू0 1100/– का वित्तीय लाभ ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र की बी0पी0एल0, अनुसूचित जाति और अनुसिूचित जनजाति की गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव करवाने पर दिया जा रहा है ।

आर्थिक सहायता कब मिलेगी:–

i) राशि का भुगतान प्रसव के बाद परन्तु सात दिन के अन्दर संस्थान के प्रभारी द्वारा किया जायेगा।

ii) घर पर होने वाले प्रसव में राशि का भुगतान स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता द्वारा प्रसव के उपरान्त किया जायेगा। घर में प्रसव पर धनराशि एक सप्ताह पूर्व भी दी जा सकती है। भुगतान स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता करेगा ।

iii) यदि किसी गर्भवती महिला का प्रसव उसकी मां के घर होता है, तो धनराशि का भुगतान उसी स्थान पर होगा जहां प्रसव हुआ है ।

iv) यदि प्रसव प्रदेश के बाहर हुआ हो तो भी स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता धनराशि वितरित करेगा ।

इस योजना की पात्रता के लिए अन्य शर्तें:–

- यह आवश्यक है कि गर्भवती महिला का निकट के स्वास्थ्य केन्द्र या अस्पताल में पंजीकरण (Registration) हुआ हो तथा उसकी नियमित जांच होती रही हो ।
- महिला गरीब परिवार (बी0पी0एल0),अनुसूचित जाति या जनजातीय क्षेत्र से सम्बन्धित होनी चाहिए।

पात्रता के लिए कौन से प्रमाण पत्र चाहिए :–

1. गरीबी रेखा से नीचे (BPL) का प्रमाण पत्र

2. अनुसूचित जाति या जनजातीय प्रमाण पत्र
3. सरकारी स्वास्थ्य संस्थान का गर्भावस्था पंजीकरण कार्ड

यदि पात्र महिला उपरोक्त प्रमाण पत्र (BPL) स्थानीय ग्राम पंचायत के प्रधान से प्राप्त करती हैं तो उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। यह आवश्यक नहीं है कि प्रमाण पत्र दण्डाधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। वर्ष 2023–24 में इस योजना के अन्तर्गत कुल 16725 के लक्ष्य के विरूद्व 8987 गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

2. 9 फरवरी 2021 को प्रदेश में 24 फर्स्ट रैफरल यूनिट अधिसूचित किये गए हैं। यह फर्स्ट रैफरल यूनिट सीजेरियन सेक्शन, नवजात शिशु देखभाल, बीमार बच्चों की आपातकालीन देखभाल, परिवार नियोजन सेवाओं, सुरक्षित गर्भपात सेवा उपचार सहित व्यापक प्रसूति देखभाल सेवायें प्रदान करते हैं ।
3. 16 फर्स्ट रैफरल यूनिट जो मेडिकल कालेज से अलग हैं उनमें प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन (Performance Linked Incetives) का प्रावधान किया गया है ।
4. राज्य में आशा वर्करज़ को 15–49 वर्ष की महिलाओं की मृत्यु के बारे 24 घंटे के भीतर जानकारी देने पर रू0 200 दिये जा रहे हैं।

प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (Pradhan Mantri Surakshit Matritav Abhiyan)

प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान अगस्त 2016 में आरम्भ किया गया था। इस अभियान का मुख्य उदेश्य उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को चिन्हित करना और समय पर उनका उपचार करना है। इस के अन्तर्गत हर माह की 9 तारीख को सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं का उनकी गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान निःशुल्क परीक्षण किया जाता है ताकि उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का पता लगाया जा सके और समय रहते उपचार किया जा सके। वर्ष 2023–24 में कुल 57204 गर्भवती महिलाओं का इस अभियान के अन्तर्गत परीक्षण किया गया जिनमें से 7638 उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाऐं थी।

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना

राज्य सरकार द्वारा ''मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना'' के अंतर्गत प्रदेश के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निम्न संख्या में दवाइयां एवम् उपभोग्य (सूईयां, पट्टियां इत्यादि) सभी मरीजों को निःशुल्क प्रदान किये जा रहे हैं। जिसका विवरण निम्न हैंः–

जिसका विवरण निम्न हैंः–

क्र0सं0	स्वास्थ्य संस्थान	निःशुल्क दवाइयों की संख्या	निःशुल्क उपभोग्यों की संख्या	कुल संख्या
1	जिला अस्पताल	456	131	587
2	नागरिक चिकित्सालय एवम् सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र	456	131	587

3	प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र	174	53	227
4	उप स्वास्थ्य केन्द्र	42		42

नि:शुल्क रेडियोलोजिक्ल सेवायें

राज्य सरकार द्वारा निशुल्क रेडियोलोजिक्ल सेवाओं के अंतर्गत एम/एस करसना डायग्नोस्टिकस प्रा. लिमिटेड पुणे के सहयोग से पी0पी0पी0 मोड में प्रदेश के 124 सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में नि:शुल्क रेडियोलोजिक्ल सेवायें प्रदान की जा रही हैं।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (RKSK)

भारत में 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग में 253 लाख किशोर हैं। इस आयु वर्ग में स्वस्थ वयस्कों में उनके विकास को सुनिश्चित करने के लिए पोषण, शिक्षा, परामर्श और मार्गदर्शन की आवश्यकता वाले जीवन के एक क्षणिक चरण में व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। जो कई रोके जाने योग्य और उपचार योग्य स्वास्थ्य समस्याओं, कुपोषण, एनीमिया और अधिक वजन, शराब, तंबाकु और नशीली दवाओं के दुरुपयोग,मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं, चोटों और हिंसा जैसे पोषण संबंधी विकारों के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्यनीति हैं

साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड योजना

इस योजना का उदेश्य एनीमिया के अंतरजनपदीय चक्र को तोड़ना है, जिससे पोषण में सुधार हो।

10–19 वर्ष की आयु के किशोर/किशोरियों में एनीमिया की व्यापकता और गंभीरता को कम करने के लिए सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/नगरपालिका स्कूलों में नामांकित छठी से 12 वीं कक्षा की लड़कियों और लड़कों के स्कूल जाने वाले सभी स्कूलों को एक बार साप्ताहिक रुप से आईएफए की गोलियां दी जाती है।

हेल्मिनथिक इन्फेक्शन के नियंत्रण के लिए छह महीने के अंतराल में वर्ष में दो बार डी–वर्मिंग टेबलेट भी दी जाती हैं। आहार सेवन में सुधार के लिए और आंतों के कीड़े के संक्रमण की रोकथाम के लिए जानकारी और परामर्श देने के साथ कार्रवाई की जाती हैं।

प्रमुख अभिसरण क्षेत्रों में शामिल हैं संयुक्त कार्यक्रम योजना, चिकित्सा अधिकारियों, नोडल सेवा प्रदाताओं की क्षमता निर्माण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्टाफ नर्स, स्कूल शिक्षक, निगरानी और एक व्यापक संचार घटक।

किशोर स्वास्थ्य दिवस

किशोर स्वास्थ्य के लिए निवारक और प्रचारक हस्तक्षेप के साथ कवरेज में सुधार करने और किशोरों और हितधारकों के बीच जागरुकता बढ़ाने और किशोर स्वास्थ्य से संबंधित मुदों और जरुरतों के बारे

में जागरुकता बढ़ाने के लिए किशोर स्वास्थ्य दिवस स्कूल स्तर या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर आयोजित किया जाता हैं।

नई दिशा केन्द्र

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.के.एस.के) अपने सुविधा आधारित दृष्टिकोण के तहत किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिक को मजबूत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालना है।

AFHC के प्रमुख अनुकूल घटक किशोरों के लिए सुविधा–आधारित नैदानिक और परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं।

राज्य में 103 नई दिशा केन्द्र कार्यरत हैं। वर्ष 2023–24 में इन क्लीनिकों में कुल 139668 किशोरों को पंजीकृत किया गया 123972 किशोरों को विभिन्न परामर्श सेवाएं दी गई।

मासिकधर्म स्वच्छता कार्यक्रम

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने NHM के माध्यम से राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की कड़ी के रूप में 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ष की किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए मासिक धर्म स्वच्छता योजना को मंजूरी दी है। इसके मुख्य उदेश्य हैं –

1. किशोर लड़कियों में मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए।
2. किशोरावस्था की लड़कियों में अच्छी गुणवत्ता वाले सैनिटरी नैपकिन का और उपयोग बढ़ाना।
3. पर्यावरण के अनुकूल तरीके से सैनिटरी नैपकिन का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करना ।

आशा किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन एक रूपये प्रति पैकेट की दर से पैकेट वितरित करती है जो सुरक्षा के नाम से आता है। वर्ष 2023–24 में राज्य में लड़कियों को कुल 8,36,824 नैपकिन वितरित किए गए हैं।

व्यापक सूचना केन्द्र (104 हेल्प लाईन):

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मार्च 2016 में सोलन में एक व्यापक सूचना केन्द्र स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त टोल फ्री स्वास्थ्य हेल्प लाईन (104) के माध्यम से चिकित्सकों के द्वारा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर सलाह एंव परामर्श के साथ साथ किशोरावस्था संबंधी समस्याओं का निदान किया जाता है। कोई भी नागारिक 104 स्वास्थ्य सहायता हेल्प लाईन के माध्यम से किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान के बारे में स्वास्थ्य सेवा सबंधी शिकायत दर्ज करवा सकता है। इस 104 हेल्प लाईन नम्बर के माध्यम से विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जानकारी भी प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों की निगरानी के लिए अब तक 33,62,318 कॉले की गई। इसके अतिरिक्त 104 हेल्प लाईन के माध्यम से कुल 11,65,276 कॉले प्राप्त हुई थी ।

मानसिक स्वास्थ्य एवं नशामुक्ति कार्यक्रम

यह अनुमान है कि 6 से 7 प्रतिशत जनसंख्या मानसिक विकारों से ग्रस्त है। विश्व बैंक की रिपोर्ट {1993} से पता चला कि न्यूरो–साईकियाट्रिक डिसऑर्डर के कारण डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाईफ ईयर {डी0ए0एल0वाई0} नुकसान व्यक्तिगत रुप से लिया जाए तो डायरिया, मलेरिया, कृमि संक्रमण और तपेदिक की तुलना में बहुत अधिक है। साथ में ये विकार बीमारी के वैश्विक बोझ (जी0बी0डी0) का 12 प्रतिशत है चार परिवारों में से एक में व्यवहारिक या मानसिक विकार (डब्ल्यू0एच0ओ0 2001) के साथ कम से कम एक सदस्य होने की संभावना है। ये परिवार न केवल शारीरिक और भावनात्मक प्रभाव को भी सहन करते हैं, बल्कि कलंक और भेदभाव के नकारात्मक प्रभाव को भी सहन करते हैं। उनमें से ज्यादातर 90 प्रतिशत बिना ईलाज के रहते हैं। मानसिक बीमारी, मिथक और कलंक से संबधित लक्षणों के बारे में गरीबी, जागरुकता, उपचार की उपलब्धता पर ज्ञान की कमी और उपचार प्राप्त करने के संभावित लाभ उच्च उपचार अंतराल के लिए महत्वपूर्ण कारण हैं। भारत सरकार ने 1982 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम {एन0एच0एम0} की शुरूआत निम्नलिखित उदेश्यों के साथ की हैंः–

1 भविष्य में सभी के लिए न्यूनतम मानसिक स्वास्थ्य की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करना, विशेष रूप से आबादी के सबसे कमजोर और कमजोर वर्गों के लिए।

2 सामान्य स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक विकास में मानसिक स्वास्थ्य ज्ञान के आवेदन को प्रोतसाहित करना।

3 मानसिक स्वास्थ्य सेवा के विकास में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना और समुदाय में स्व–सहायता की दिशा में प्रयासों को प्रोत्साहित करना।

जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डी0एम0एच0पी0)

एन0एम0एच0पी0 के तहत वर्ष 1996 में (IX पंचवर्षीय योजना में) लॉन्च किया गया था। डी0एम0एच0पी0 निम्नलिखित घटकों के साथ 'बेल्लारी मॉडल' पर आधारित था।

1 पूरी तरह से पता लगाने और उपचार।

2 प्रशिक्षणः विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में सीमित संख्या में दवाओं के साथ सामान्य मानसिक बीमारियों के निदान और उपचार के लिए सामान्य चिकित्सकों को अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रदान करना। स्वास्थ्य कर्मियों को मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।

3 आई0ई0सी0ः जन जागरूकता पीढ़ी।

4 निगरानीः उदेश्य सरल रिकॉर्ड कीपिंग के लिए है।

भविष्य की योजना और सेवा और अनुसंधान में सुधार के लिए राज्य और केंन्द्र में समुदाय के स्तर पर मूल्यवान डेटा और अनुभव प्रदान करें। 2008 में एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि स्कूलों में जीवन कौशल शिक्षा और परामर्श के अतिरिक्त घटकों के साथ नए पैटर्न पर डी0एम0एच0प को संशोधित और समेकित किया जाना चाहिए। कालेज परामर्श सेवाएं, कार्यस्थल तनाव प्रबंधन और

आत्महत्या रोकथाम सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए। ये घटक नैदानिक सेवाओं के मौजूदा घटकों,डी0एम0एच0पी0 में सामान्य स्वास्थ्य देखभाल अधिकारियों के प्रशिक्षण और आई ई सी गतिविधियों के अलावा हैं। कार्यक्रम के तहत जिले में डी एम एच टी की टीम में एक मनोचिकित्सक,एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक,एक मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता,एक मनोचिकित्सा/सामुदायिक नर्स,एक कार्यक्रम प्रबंधक, एक कार्यक्रम/के रजिस्ट्री सहायक और एक रिकोर्ड किपर शामिल है।

भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार, जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम राज्य के सभी जिलों में लागू किया जा रहा है। जिला मानसिक स्वास्थ्य टीमों को सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। तदनुसार, कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाने वाली मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए सभी जिलों में डी एम एच टी का गठन किया गया है। कार्यस्थल पर और समुदाय के बीच मानसिक स्वास्थ्य के मुदों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आउटरीच गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।

इसके अलावा, प्रदेश में ड्रग उपयोगकर्ता की रोकथाम, उपचार और पुनर्वास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल के तहत प्रमुख रणनीतियों से एक दवा उपयोगकर्ताओं के लिए उपचार सेवाएं व स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान करना है।

हिमाचल प्रदेश राज्य में चल रहे नशामुक्ति केंद्र इस प्रकार हैं

1 मनोरोगविभाग,आई जी एम सी शिमला।

2 मनोरोगविभाग, डॉ आर पी जी मेडिकल कॉलेज, टांडा

3 मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास अस्पताल बालूगंज शिमला

4 यह सुविधा नवस्थापित चार मेडिकल कॉलेज यानि नेरचौक मंडी, हमीरपुर, नाहन और चंबा में भी उपलब्ध है।

ड्रग डी एडिक्शन सहपुनर्वास केंन्द्र, जिन्हें भारत सरकार के सहयोग से चलाया जा रहा है जो इस प्रकार हैंः–

1 रेड–क्रॉस सोसाईटी, धर्मशाला द्वारा प्रबंधित डी–एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, प्रार्थना भवन, धर्मशाला।

2 रेड–क्रॉस सोसाईटी धर्मशाला द्वारा नूरपुर में नशामुक्ति और पुनर्वास केंन्द्र।

3 डी–एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर भुंतर, जिला कुल्लु।

राज्य में 67 निजी दवा केंन्द्र हैं जो राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ पंजीकृत हैं।

राज्य सरकार ने ड्रग की लत के प्रबंधन के लिए राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों से एम ओ और स्टाफ नर्सों को प्रशिक्षित किया है। कुल 103 नई दिशा केंन्द्र सभी आयु वर्गों के लिए नशामुक्ति सेवाओं के साथ–2 मानसिक स्वास्थ्य रोगों के संबंध में नैदानिक सेवाएं, परामर्श और रेफरल सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। नशामुक्ति केंद्रों के एमओ को मनोचिकित्सा विभाग, आईजीएमसी द्वारा रोगियों को

नशामुक्ति नैदानिक सेवाएं प्रदान करने के लिए भी प्रशिक्षित किया गया है। इन संस्थानों में रोजाना सुबह 9:30 से

4 बजे तक नशामुक्ति उपचार की सुविधा उपलब्ध है। नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस, बेंगलुरू के सहयोग से राज्य के चिकित्सा अधिकारियों को ऑनलाईन कोर्स के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है।

विभिन्न मानसिक रोगों से निपटने के लिए प्रदेश में निम्न (online) स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है:

1 ऑनलाईन उपचार एवं परामर्शसेवा

क) ई–संजीवनी कोविड महामारी के दौरान ई–संजीवनी के माध्यम से मनोरोग चिकित्सकों द्वारा लगातार मानसिक स्वास्थ्य रोगों का उपचार एवं विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य से सम्बन्धित समस्याओं का निदान किया जा रहा है।

ख) 11416 Tele Manas हेल्प लाईन के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य रोगों का परामर्श दिया जा रहा है यह सेवा अब 24*7 आधार पर उपलब्ध है और कॉल सेन्टर के अन्दर 8 काउन्सलर कार्यरत हैं।

टेलीमेडिसिन

अपोलो अस्पताल के माध्यम से 2015–16 में काज़ा और केलांग में टेलीमेडिसन की सुविधा प्रदान की गई। इस योजना के अन्तर्गत अपोलो अस्पताल चेन्नई से सभी प्रकार के मरीजों को विषेशज्ञ चिकित्सकों के द्वारा Tele consultations के माध्यम से चिकित्सा परामर्श एवं उपचार प्रदान किया जा रहा है। 2015–16 से अब तक (31.03.2024) काज़ा व केलांग के टेलीमेडिसन केन्द्र में 23340 मरीजों को Tele Consultation के माध्यम से उपचार एवं परामर्श प्रदान किया गया।

वर्ष 2018–19 में (अक्तूबर 2018) नागरिक अस्पताल किलाड़ (पांगी) तथा वर्ष 2019–20 में (अक्तूबर 2019) में भरमौर में भी टेलीमेडिसन सुविधा अपोलो अस्पताल के माध्यम से शुरु की गई हैं। इसके अन्तर्गत अब तक (मार्च 2024) 33,000 से ज्यादा मरीजों को नियन्त्रण चिकित्सा उपचार तक परामर्श प्रदान किया गया है।

आशा(Asha)

आशा कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा राज्य में सामुदायिक स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु शुरू किया गया था। हिमाचल प्रदेश के दूर–दराज क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य सम्बंधित जानकारी तथा स्वास्थ्य सम्बंधित सुविधाएं, उनके घर–द्वार तक पहुंचाने हेतु लगभग 8744 आशा कार्यकर्ता स्वीकृत है, जिनमें से कुल 7919 {ग्रामीण क्षेत्रों में 7888 व शहरी क्षेत्रों में 31} आशा कार्यकर्ता अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। साथ ही राज्य सरकार शेष पंचायतों तथा शहरी वार्डों में भी आशाओं को चयनित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है ताकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य भार को कम कर उनकी कार्यक्षमता और कुशलता को बढ़ावा दिया जा रहा हैं। इन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से

प्रदेश के दूर–दराज एवं कठिन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सम्बंधित विशेष सहयोग एवं लाभ प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भिन्न–भिन्न कार्यक्रमों को निम्न स्तर तक पहुंचाने में आशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सरकार द्वारा आशा कार्यक्रम के अर्न्तगत गत वर्षों में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित किया गया जिसके अन्तर्गत प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं।

<u>प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजनाः–</u>हिमाचल प्रदेश की आशा कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए आशा कार्यकर्ताओं का प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना {PMJJBY उम्र 18–50} में नामांकन किया जा रहा है इसके अंतर्गत आशा को हर वर्ष रू0 436/–की बीमा किस्त देनी होगी यदि निवेश के उपरांत बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को दो लाख के लाभ का प्रावधान हैं। प्रदेश में लगभग 79% आशा इस योजना के अन्तर्गत नामांकित हो चुकी है।

<u>प्रधान मंत्री सुरक्षित बीमा योजनाः–</u> हिमाचल प्रदेश की सभी आशा कार्यकर्ताओं का प्रधान मंत्री सुरक्षित बीमा योजना (18–70) में भी नामांकन किया जा रहा है इसके अंतर्गत आशा को हर वर्ष रू0 20/–की बीमा किस्त देनी होगी। यदि निवेश के उपरांत बीमा धारक की दुर्धटना में मृत्यु हो जाती है या स्थाई विकलांगता हो जाती है तो इसके अन्तर्गत आश्रितों को दो लाख के लाभ का प्रावधान है तथा विकलांगता होने पर एक लाख के लाभ का प्रावधान है। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020 से इन योजनाओं में नामांकित सभी आशा कार्यकर्ताओं को यह बीमा राषि रू0 330+रू 12/–प्रतिवर्ष दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश की लगभग 74 प्रतिशत आशा कार्यकर्ता इन योजनाओं में नामांकित हो चुकी हैं।

<u>प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजनाः–</u> प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना (उम्र 18–40) में भी प्रदेष की लगभग 82 प्रतिषत योग्य आशा कार्यकर्ता नामांकित हो चुकी हैं। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को साठ वर्ष पूर्ण होने पर न्यूनतम रू0 3000/–पेंशन का लाभ होगा। उम्र के हिसाब से मासिक प्रीमियम जमा होता है जैसे 18 वर्ष की उम्र होने पर न्यूनतम प्रीमियम रू0 55/– तथा 40 वर्ष की उम्र होने पर अधिकतम प्रीमियम रू0 200/– का प्रावधान हैं।

<u>सरकार द्वारा आशा को प्रदान की गई अन्य सुविधाए–</u>

- वर्ष 2021 में प्रदेश की सभी आषा कार्यकर्ताओं को प्रदेश सरकार द्वारा एक बैग व एक छतरी भी प्रदान की गई ।
- वर्ष 2023 से आशा को वर्दी भत्ता रू0 1100 से बढ़ाकर रू0 2100 कर दिया है और जूतो के लिए रू0 500 का किया गया है।
- वर्ष 2024 मे प्रदेश की सभी आशा कार्यकर्ताओं को प्रतिदिन के क्रियाकलापों तथा स्वास्थ्य से सम्बंधित रिकॉर्ड रखने हेतु एक डायरी प्रदान की गई है।

आशा को वित्तीय लाभः–

- आशा को भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि पर रखा गया है। इस प्रोत्साहन राशि के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के लिए भारत सरकार ने अलग–2 मापदंड निर्धारित किए हैं तथा आशा के कार्य के आधार पर ही प्रोत्साहन राशि दी जाती हैं।
- भारत सरकार द्वारा आशा को मासिक नियमित गतिविधियों के लिए रू0 1000/– से बढाकर 2000/– अक्तूबर 2018 से दिए जा रहे हैं।

आशा को राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त मासिक मानदेय –

- बजट सत्र 2024 में प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित आशा का अतिरिक्त मासिक मानदेय बढ़ोतरी रू0 5200/– से रू0 5500/–प्रदेश की सभी आशाओं को दिया जा रहा है।

आशा को अन्य भत्तेंः–

- प्रदेश की सभी आशा कार्यकताओं को सरकार द्वारा मासिक मोबाईल फोन भता रू0 120 सितम्बर 2020 से जारी किया जा रहा है। जिसे अब अप्रैल 2021 से बढाकर रू0 150 मासिक तौर पर किया गया है।
- आशा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश की सभी आशा कार्यकर्ताओं को हर वर्ष रू0 600 वर्दी खरीदने के लिए दिए जा रहे हैं। जिसे अप्रैल 2021 से बढाकर रू0 1100 कर दिया गया है।
- सरकार द्वारा आशा कार्यकताओं के मनोबल बढ़ावा देने के लिए ब्लाक स्तर पर रू0 5000 प्रति वर्ष आशा को उत्कृष्ट कार्य हेतु पारितोशिक प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

ट्रामा केन्द्र (Trauma Centre)

प्रदेश में तीन लेवल–III **ट्रामा सेंटर,** क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू , क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर तथा श्री लाल बहादूर शास्त्री आयुर्विज्ञान महाविधालय जिला मण्डी में क्रियाशील है जिनमें लोगों को ट्रामा सम्बन्धि सेवाएं दी जा रही है। रामपुर में लेवल–III ट्रामा केन्द्र के भवन का कार्य प्रगति पर है इसका लगभग 80% कार्य पूर्ण हो चूका है और डा0आर0पी0जी0एम0सी0 टांड़ा, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविधालय जिला शिमला, डॉ0 राधाकृष्णन आयुर्विज्ञान महाविधालय जिला हमीरपूर तथा पण्डित जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविधालय जिला चम्बा में सरकार द्वारा ट्रामा सेंटर स्थापित किये गए हैं। इसके अतिरिक्त तीन ट्रॉमा सेंटर नालागढ़, ऊना और कोटखाई की स्थापना के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 8.29 करोड़ की राशि जारी की गई है। इसके अतिरिक्त बर्न यूनिट (Burn Unit) में रागियों की सुविधा के लिए अस्थाई तौर पर डा0आर0पी0जी0एम0सी0 टांड़ा, आंचलिक चिकित्सालय मण्डी और क्षेत्रीय अस्पताल हमीरुपर में क्रमशः 14, 5 और 10 बिस्तरे उपलब्ध करवाए गये हैं ।

राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम– (National Oral Health Programme)

राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम हमारे राज्य मे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चल रहा है। नेशनल ओरल हेल्थ मिशन ओरल हैल्थ सामान्य स्वास्थ्य का एक अभिन्न अंग है। इसके अन्तर्गत मुस्कान कार्यक्रम चल रहा हैं।

मुस्कान कार्यक्रम के अन्तर्गत 85 क्लीनिक है। जिसके तहत 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुगों और बीपीएल के लोगों व अन्य श्रेणी के लोगों को आरकेएस की दरों पर निशुल्क डेन्चर दिया जाता हैं। वर्ष 2023–24 में कुल 1560 निशुल्क दांत लगाये गये है।

हिमाचल प्रदेश में NOHP के तहत 22 ओरल हेल्थ क्लीनिक चल रहे हैं। जिसमे सभी रोगियों की सभी मौखिक बीमारियों की जरूरतों को पूरा किया जाता है।

निःशुल्क डायलिसिस सेवा (Free Dialysis Services)

केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम को वर्ष 2015 में आरम्भ किया परन्तु प्रदेश में सबसे पहले मण्डी जिले में यह कार्यक्रम शुरू किया। इस समय प्रदेश के 27 अस्पतालों जिसमें 6 मेडिकल कॉलेज शिमला, हमीरपूर, चम्बा, नाहन, टांडा कांगडा, नेरचौक मण्डी 9 जिला अस्पताल मण्डी, धर्मशाला कुल्लू, बिलासपुर, शिमला, सोलन, चम्बा, किनौर, ऊना के अतिरिक्त नागरिक चिकित्सालय नुरपुर, पालमपुर , पौंटा साहिब, करसोग, जोगिन्द्रनगर, सरकाघाट, रामपुर, मनाली, नालागढ, सुंदरनगर, रोहडू, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धर्मपुर में यह सुविधा प्रदान की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत सभी बी0पी0एल0 तथा हाशिया श्रेणियों के किडनी के रोगियों को निशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जाती है। इस सुविधा का लाभ आयुष्मान भारत व हिमकेयर के कार्ड धारक ले सकतें हैं। जिन लोगों के पास आयुष्मान भारत या हिमकेयर का कार्ड नहीं हैं उनको यह सुविधा बी0पी0एल0 के लिए निर्धारित की गई दर पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।

ii) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (Reproductive and Child Health programme)

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जन समुदाय की आवश्यकता पर आधारित, उपभोक्ताओं पर केन्द्रित जरूरतों द्वारा संचालित करके गुणवत्ता–युक्त स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत रूप से प्रदान करना है। इस कार्यक्रम में बच्चों को जीवित रखने और मॉ को सुरक्षित रखने के साथ–साथ कई अन्य बातें भी सम्मिलित है –जैसे स्त्री पुरूष अपनी प्रजनन क्षमता का नियन्त्रण कर सके, शारीरिक सम्बन्धों से महिलाओं को गर्भ ठहरने या यौन–रोग का खतरा न रहे, स्त्रियों में गर्भावस्था व प्रसव सुरक्षित हो, मॉ व बच्चे का जीवन लम्बा व सुरक्षित हो इत्यादि। इस कार्यक्रम में रति–रोग, प्रजनन अंग रोग, सुरक्षित गर्भपात के सभी पहलुओं पर समान रूप से ध्यान दिया गया है तथा इस के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सोसाईटी का गठन किया गया है। स्वास्थ्य सचिव (स्वास्थ्य) हिमाचल प्रदेश सरकार इसके अध्यक्ष हैं।

बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियों में से एक उच्च नवजात मृत्यु दर रही है । नवजात मृत्यु के मुख्य कारणों में संक्रमण (33 प्रतिशत) जैसे निमोनिया, सेप्सिस और umbilical cord infection,

prematurity (35 प्रतिशत) यानि की सेतिस सप्ताह के गर्भ से पहले नवजात का जन्म और एस्फिक्सिया (20 प्रतिशत) याानि जन्म के तुरन्त बाद सांस लेने में असमर्थता और आक्सीजन की कमी 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु के प्रमुख कारणों में जन्म से संबधित जटिलताएं निमुनिया जन्म के समय की मृत्यु दस्त और मलेरिया है ।

उपरोक्त जोखिम कारक जो कि शिशु मुत्यु दर के लिए उतरदायी है उनको संबोधित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने कई कदम उठाए है जैसे कि :

नवजात शिशु देखभाल (अस्पताल व घर पर)

शिशु मृत्यु दर को कम करने हेतु 16 एस0 एन0 सी0 यु0 प्रदेश में चलाए जा रहें है । इनमें उच्च जोखिम बीमार नवजात व कम वजन वाले शिशुओं (<1800 gram) को दाखिल कर कर उनकी देखभाल की जाती है ताकि उन्हें निरंतर उपचार कर सक्रमण से बचाया जा सके । low birth weight शिशुओं में रूगणता और मुत्यु दर को कम करने के लिए सभी एस0 एन0 सी0 यु0 में kangaroo Mother care की स्थापना की गई है । 49 एन0 बी0 एस0 यू0 स्थापित किए गये है और 124 एन0 बी0 सी0 सी0 स्थपित किए गये है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में नवजात मुत्यु दर मे कमी के लिए आषा कार्यकर्ताओं द्वारा HBNC कार्यक्रम के तहत घर पर नवजात शिशुओं व माताओं की निरंतर देखभाल के लिए 6 से 7 बार गृह भेंट (42 दिनों तक) कर आवश्यक देखभाल व खतरों के लक्षण पर उन्हें शीघ्र इलाज के लिए सरकारी अस्पताल भेजा जाता है । वर्ष 2023–24 में 75 प्रतिशत गृह भेंट की गई । एच0 बी0 वाई0 सी0 राष्ट्रीय मिशन और पोषण अभियान के तहत एक नयी पहल है जिसके अंतर्गत 42 दिनों के बाद भी गृह भेट के लिए आशा कार्यकर्ता जाती है जब वह बच्चा 3,6,9,12 और 15 महीने का होगा । इसका उदेष्य छोटे बच्चों के पोषण के स्तर में सुधार समुचित विकास और बाल्यावस्था में होने वाली बीमारियों और उनके कारण होने वाली मृत्यु से उनका बचाव कैसे किया जाए के बारें में बताया जाता है । यह जिला चंबा, सिरमौर, शिमला व मंडी में चलाया जा रहा है। इन जिलों में वर्ष 2023–24 में 70906 बच्चों का गृह भेंट की गई।

पोषण संबधि कार्यक्रम

1. Nutritional Rehabilitation Centre में 1 अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक कुल 550 बच्चों को भर्ती कर चिकित्सा उपचार किया गया तथा साथ ही चिकित्सापोषण आहार भी दिया गया। उचित आहार देखभाल पर परामर्श के बाद ही उन्हें घर भेजा गया।
2. एनीमिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए IFA syrup and tablets जो मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी व सुधार लाता है दी गई । 6 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को एक सप्ताह में दो बार आयरन फोलिक एसिड सिरप (8–10 कवेम) पिलाया गया । 67% को यह खुराक दी

गई है । 6 साल से 19 साल तक के बच्चों को हर सप्ताह आयरन फोलिक एसिड की (नीली व गुलाबी गोलियां) दी गई 75% बच्चों को यह खुराक दी गई है ।

एनीमिया: बाल सुपोषण योजना के अन्तगर्त 6 माह से 19 वर्ष तक के बच्चे गर्भवती महिलाओं की चरण बद्ध तरीके से डिजिटल हिमो ग्लोबिनोमिटर द्वारा एनीमिया की जॉच की जाती है। इसके अन्तगर्त लगभग 9 लाख बच्चों की 109018 गर्भवती महिलाओं की जॉच की गई। 666 गर्भवती महिलाओं और 12494 बच्चों में गंभीर रक्ताल्पता के लक्षण पाए गए। जिनका ईलाज किया गया।

3. Intensified diarrhea control fortnight डायरिया नियंत्रण पखवाडे का आयोजन हर वर्ष प्रदेश में जुलाई से अगस्त माह में चलाया जाता है , जिसके तहत 5 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को ओ0 आर0 एस0 बांटा गया तथा डायरिया से पीडिता बच्चों ओ आर0एस0 के साथ जिंक की गोली दी जाती है । नीति आयोग के निर्दशों पर डायरिया नियंत्रण पखवाडे का विशेष अभियान 3 चरणों में चलाया जा रहा है, पहले चरण में 100% बच्चों का ओ0आर0एस0 बांटा गया। दसरे चरण में 100% को और तीसरे चरण में भी 97% बच्चों का ओ0आर0एस0 बांटा गया।
4. मां (MAA –Mother absolute affectionate program) स्तनपान के प्रति जागरूकता और महत्व को दरशाने के लिए हर वर्ष स्तनपान सप्ताह 1 और 7 अगस्त तक (Breastfeeding week) आयोजित किया जाता है ।

5. NDD (National Deworming day) 1 मई और 1 नबंवर को हर वर्ष NDD का आयोजन किया जाता है जिससे बच्चों के बीच पोषण और एनीमिया की स्थिति में सुधार के लिए De-worming की दवा आगंनबाडी केंन्द्रों और स्कूलों में 6 माह से 19 माह तक के सभी बच्चों को दी जाती है। वर्ष 2023–24 में 98.48 प्रतिषत उपलब्धि रही है ।

हैल्थ एंड वेल्नस सेंटर (Health & Wellness Centre)

हिमाचल सरकार ने एक महत्वकांशी योजना आयुष्मान भारत को लागू किया है।

1. पहलाः व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल ओर दूसरा 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना जो स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से समुदाय को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। यह दोनों स्तम्भ एक साथ मिलकर Health & Wellness Centres के महत्वाकांशी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दूर तक जायेंगें।
2. विश्व भर में यह प्रमाणित हो चुका है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण है और गैर–संक्रमणीय बीमारियों सहित (जोकि एक विकराल रूप लेता जा रहा है) कई बीमारियों की प्राथमिक और माध्यमिक रोकथाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती

है। यह बहुत कम लागत पर विकृति और मृत्यु दर को कम करती है और द्वितीयक और तृतीयक देखभाल की आवश्यकता को कम करती है ।

3. प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल HWCs के माध्यम से प्राप्त की जाएगी ओर प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और स्वास्थ्य उपकेन्द्र HWCs में परिवर्तित किये जा रहे है। इन केन्द्रों में संचारी रोगों के रोकथाम के लिए सक्रिनिंग, रोकथाम और उपचार भी किया जायेगा। इसके अलावा आंख, कान, दांत और मानसिक रोगों का भी इलाज का प्रावधान रहेगा और ये केन्द्र बुजुर्गों को भी सेवायें प्रदान करेगा ।
4. इन HWCs में मातृ, शिशु, किशोरावस्था में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के अतिरिक्त परिवार नियोजन की सुविधाओं के साथ–साथ गैर–संक्रमणीय बीमारियों की स्क्रीनिंग, रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन का भी प्रावधान है। ये सुविधाएं प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को उसके घर से आधे घंटे के अन्तराल पर मिलेंगे।
5. HWCs में सामुदायक स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति चरणबद्ध तरीके से की जा रही है जिससे की व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाऐं दी जा सके।
6. राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप– स्वास्थ्य केन्द्रों को 2022 तक स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों (HWC) के रूप में अपग्रेड किया जायेगा। वर्ष 2022–23 तक 553 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 20 UPHC और 1573 उप– स्वास्थ्य केन्द्रों को स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों (HWC) के रूप में अधिसूचित किया गया है ।
7. इन स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों (HWCs) को कार्यात्मक बनाने के लिए 950 CHOs को विभिन्न उप– स्वास्थ्य केन्द्रों में तैनात किया गया है ।
8. राज्य सरकार द्वारा 7 कार्यक्रम अध्ययन केन्द्रों को अधिसूचित किया गया है यहां पर CHOs को 6 महीने का इग्नू प्रमाणित ब्रिज कोर्स करवाया जाता है ।
9. अधिसूचित स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों (HWC) में कार्य कर रही टीमों के लिए प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन (Performance Linked Incentives) का प्रावधान किया गया है ।
10. इसके अलावा लगभग 4,933 से अधिक लोग e-Sanjeevani OPD Mobile app के द्वारा सीधी डॉक्टरी परामर्श का लाभ उठा चुके हैं ।

राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम (National Family Welfare Programme)

परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रदेश में स्वेच्छा के आधार पर चलाया जा रहा है। सामाजिक, आर्थिक विकासात्मक योजनाओं में परिवार कल्याण कार्यक्रम अत्याधिक महत्वपूर्ण माना गया है । इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि में स्थिरीकरण लाना है। यह कार्यक्रम प्रदेश में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में सामुदायिक आवश्यकताओं के निर्धारण नीति के आधार पर चलाया जा रहा है। इस दृष्टिकोण के अन्तर्गत मूल–स्तर पर बहु–उददेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला एवं पुरूष) अपने कार्य–क्षेत्र तथा उसमें आने वाली जनसंख्या की परिवार कल्याण से

सम्बन्धित विभिन्न जरूरतों का अनुमान तैयार करते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर समस्त स्वास्थ्य उप–केन्द्रों से प्राप्त हुए अनुमानों को संकलित किया जाता है। इस कार्यक्रम को राज्य में प्रभावी ढंग से चलाने के लिए सभी स्वयं–सेवी संगठनों, सभी सरकारी विभागों, गणमान्य व्यक्तियों तथा जन प्रतिनिधियों का समर्थन लिया जा रहा है। परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रदेश में प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप राज्य की जन्म–दर में उल्लेखनीय कमी आई है। सरकार ने इस कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न पग उठाए है। सूचना, शिक्षा तथा सम्प्रेषण गतिविधियों के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाई जा रही है और पात्र दम्पति परिवार कल्याण के विभिन्न तरीकों को अपनाने के लिए स्वयं आगे आ रहे हैं।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत बांध्यकरण करवाने वालों के लिये बीमा योजनाः

मद	2023–24	2022–23	प्रतिशत कमी (–)तथा (+) बढ़ौतरी
बांध्यकरण	6877	7807	(-)11.91%
आई.यू.डी.	8614	9696	(-)11.16%
ओ.पी. प्रयोगकर्ता	20900	16284	(+)28.35%
सी.सी. प्रयोगकर्ता	51760	53108	(-)2.54%

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार ने बांध्यकरण करवाने वालों को एक नई योजना 'परिवार नियोजन बीमा योजना' शुरू की है। इससे पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत असफल हुए बांध्यकरण ऑप्रेशन तथा चिकित्सक जो यह सेवाएं प्रदान करते हैं उनके लिए कोई प्रतिपूर्ति की व्यवस्था नहीं थी। इस योजना के कार्यान्वयन से सभी तथ्यों को मद्देनज़र रखते हुए इस योजना का 1.1.2008 से नवींकरण तथा संशोधन किया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत जो संशोधित पैकेज देय है वह इस प्रकार से हैं :–

1. चिकित्सालय में बांध्यकरण के कारण मृत्यु पर या चिकित्सालय से छुट्टी होने के बाद 7 दिन के भीतर मृत्यु पर । — 2,00,000/– रूपये
2. चिकित्सालय से छुट्टी के बाद 8 से 30 दिन के भीतर बांध्यकरण के कारण मृत्यु होने पर । — 50,000/– रूपये
3. बांध्यकरण के असफल होने पर (बांध्यकरण उपरान्त पहला गर्भ ठहरने पर)। — 60,000/– रूपये
4. बांध्यकरण के उपरान्त (60 दिन के भीतर) चिकित्सा जटिलताएं उत्पन्न होने पर उपचार के लिए। — 25,000/– रूपये तक (वास्तविक खर्च़)
5. इन्डिमिटी बीमा योजना (Indemity Insurance) प्रति डाक्टर अथवा facility(वर्ष में चार से अधिक नही)। — 2,00,000/– रूपये

इस योजना के लागू होने से राज्य सरकार द्वारा बांध्यकरण करवाने वाली माताओं के लिए चलाई जा रही बीमा योजना भी प्रतिस्थापित हो गई है।

व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम(Universal Immunization Programme)

राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम भारत सरकार का एक अति महत्वपूर्ण एवं सफल कार्यक्रम है। पिछले कुछ वर्षो में इस कार्यक्रम के माध्यम से टीकाकरण में बहुत से परिर्वतन हुए है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण परिर्वतन कई नयी तरह की वैक्सीन को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाना है इस कार्यक्रम के अर्न्तगत समय –समय पर जरूरत के अनुसार टीकाकरण के विशेष अभियान भी चलाये जाते है इसके अलावा शिमला जिला में पायलट के तौर पर सभी स्वास्थ्य कर्मियों का प्रषिक्षण जे0एस0आई0 की मदद से राइज प्रयोजना के अर्न्तगत मोबाइल वेस एप द्वारा प्रशिक्षण देने का एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। जिसके अर्न्तगत हर जिला के सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

वैक्सीन का उचित तापमान पर भण्डारण तथा गंतव्य स्थल तक सुरक्षित तरीके से पहुचाने के लिए शीत–कडी उपकरणों की उचित संख्या में उपलब्धता एवं उनका रख–रखाव अत्यत आवश्यक होता है ताकि वैक्सीन की गुणवता मे किसी भी प्रकार की कमी ना आए इसके लिए भारत सरकार समय–समय पर प्रदेश को आवश्यकता अनुसार यह उपकरण उपलब्ध करवाती रहती है इस के अन्तर्गत भारत सरकार ने इस वर्ष विभाग को 1350 अदद नए वैक्सीन कैरियर, 9 अदद आई एल आर और 3 अदद डीप फ्रिजर उपल्बध करवाए हैं।

व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 तथा 2023–24 के लक्ष्य तथा उपलब्धियों का विवरण इस प्रकार से है :

मद	उपलब्धि 2022–23	उपलब्धि 2023–24	प्रतिशत उपलब्धि 2023–24
विटामिन–के	76497	78168	102.18
आई0पी0वी0–I	99202	96327	97.10
आई0पी0वी0–II	97234	94656	97.35
रोटावायरस	97281	94365	97.00
बी0सी0जी0	90153	87239	96.77
पोलियो	97268	94621	97.28
पेंटावेलेंट	97271	94601	97.26
मीज़ल रूबेला–I	98222	82121	83.61
मीज़ल रूबेला–II	95243	91050	95.60
विटामिन–ए की पहली खुराक	96852	92971	95.99
विटामिन–ए की पांचवी खुराक	132715	87402	65.86
डी.पी.टी बुस्टर	95475	91273	95.60
पोलियो बुस्टर	95464	91301	95.64

डी. पी.टी. (5 वर्ष)	119211	70207	58.89
टी.टी./ टी.डी. (10 वर्ष)	126059	73581	58.37
टी.टी./ टी.डी. (16 वर्ष)	119893	73368	61.19
टी.टी./ टी.डी. (गर्भवती महिलाएं)	100408	94359	93.98
माताओं को आयरन फॉलिक एसिड की गोलियॉ	87038	92362	106.12

(III) राष्ट्रीय दृष्टि विहीनता नियन्त्रण कार्यक्रम (National Blindness Control Programme)

यह कार्यक्रम प्रदेश में 1977–78 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना के रूप में आरम्भ किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अन्धेपन की प्रचलित दर को 0.87 प्रतिशत से घटाकर 0.3 प्रतिशत लाना है।

राज्य में इस समय नेत्र देख–रेख सेवाएं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, एक केन्द्रीय चल इकाई जो धर्मशाला में स्थित है और 12 जिला चल ईकाइयों के माध्यम से प्रदान की जा रही है ।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विस्तृत नेत्र सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संशोधित नीति कार्य में लाई गई है। वर्ष के दौरान गत वर्ष की तरह इन्ट्रा–ओकुलर लैन्स के कार्यान्वयन में बढ़ावा देने, मोतियाबिन्द शल्य के रिकार्ड को तैयार करने, दृष्टि को पुनः स्थापित करने में गुणवत्ता इत्यादि पर विशेष बल दिया गया है। वर्ष के अन्तर्गत गत वर्ष की तरह दृष्टि विहीनता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐसे मामलों का पता लगाने पर ज्यादा बल दिया जा रहा है जो दोनों आंखों से नहीं देख सकते। जिला–स्तर के प्राधिकारी ऐसे मामलों, जिनको दोनो ऑखों में मोतियाबिन्द हैं, का पता लगाकर उनका आप्रेशन कर रहे हैं। वर्ष 2023–24 में 44,970 ऐसे मामलों का आप्रेशन किया गया।

iv) राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रमः–(National Iodine Deficinecy Disease Control Programme)

आयोडीन की कमी के कारण शरीर में कई बीमारियों जैसे मन्दता, गतिहीनता, गिल्लड़ इत्यादि बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ–साथ शरीर में आयोडीन की कमी से गर्भपात, मृत बच्चे का पैदा होना, कम वजन के बच्चे पैदा होना, शिशु तथा बाल मृत्यु–दर में वृद्धि होना आदि कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। आयोडीन अल्पता विकार को रोकने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आयोडीन–युक्त नमक का इस्तेमाल करना जरूरी है। इस योजना के अन्तर्गत नमक परीक्षण किट पूरे राज्य में नमक में आयोडीन की कमी की जांच के लिए 12 जिलों मे दी जाती है। वर्ष 2023–24 में कुल 95,676 किट जिलों में प्रदान की गई।

v) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम(National Leprosy Eradication Programme):-

यह कार्यक्रम प्रदेश में 1954–55 में कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम के रूप में चलाया गया और उस समय इस रोग के लगभग 9,000 मामले थे। उस समय इस रोग के उपचार के लिए केवल एकमात्र दवा डी.डी.एस. थी। वर्ष 1983 में इस कार्यक्रम को कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम में परिवर्तित किया गया। उस समय राज्य के 12 जिलों में से 6 जिले कुष्ठ नियन्त्रण इकाइयों द्वारा नियन्त्रित किए जाते थे और अन्य छः जिले सर्वेक्षण, शिक्षा एवं उपचार केन्द्रों द्वारा। वर्ष 1994 में भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता से बहुऔषधीय उपचार की पद्धति शुरू की गई और जिला–स्तर पर, जिला कुष्ठ सोसाइटियों का गठन किया गया। इस पद्धति के अन्तर्गत उपचार का कार्य जिला–समितियों को दिया गया। समस्त प्रदेश में दवाइयों के वितरण के लिए स्थान निर्धारित किए गए और यह क्रम 1997–98 में पूर्ण किया गया। वर्ष 1996 में प्रदेश के समस्त जिलों को बहुऔषधीय उपचार के अर्न्तगत लाया गया ।

प्रदेश में वर्ष 1999 से 2003 तक 4 कुष्ठ विलोप अभियान चलाये गये । इन अभियानों के परिणाम इतने उत्साहजनक रहे कि लोगों ने ऐच्छिक तौर पर अपने रोग के बारे में रिपोर्ट करवाना शुरू कर दिया जबकि इससे पहले लोग रोग को छुपाते थे ।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य–स्तर पर कुष्ठ समिति का गठन कर दिया गया है। इस कार्य को पूर्ण–तौर पर सामान्य स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली के साथ जोड़ दिया गया है। कुष्ठ रोगियों के लिए सभी स्वास्थ्य संस्थानों में दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

वर्ष 2023–24 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य गतिविधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:–

	लक्ष्य	पी.बी.	एम.बी.	योग
31.3.2023 तक पंजीकृत मामलों की संख्या	....	11	140	151
वर्ष के दौरान नए खोजे गए मामलों की संख्या 2023–24	....	10	122	132
1.4.2023 से 31.3.2024 तक नए मामलों की संख्या जिनका बहु–औषधी उपचार शुरू किया गया।	.....	10	122	132
1.4.2023 से 31.3.2024 तक विलोप (RFT) किए गए मामलों की संख्या	.....	9	141	150
वर्ष के अन्त मे उपचाराधीन मामलों की संख्या	.....	5	117	122
रिलैप्स तथा अन्य राज्यों से आये मामलों की संख्या	.....	0	29	29
वर्ष के अन्त में कुल उपचाराधीन मामलों की संख्या		5	140	145

कार्यक्रम से सम्बन्धित सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण गतिविधियां इस प्रकार की गई :–

संख्या	मद	उपलब्धि
1	रैली तथा वैनर प्रचार ।	45
2	स्वंय सहायता वाले समूह के लिए बैठकों का आयोजन।	402
3	पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए आई.पी.सी. कार्यशालाओं का आयोजन।	744
4	प्रभावी व्यक्तियों तथा नेताओं के लिए आई.पी.सी. बैठकों का आयोजन ।	892

प्रशिक्षण

संख्या	मद	उपलब्धि
1	नव–नियुक्त चिकित्सा अधिकारी 1 दिवसीय प्रशिक्षण	162
2	स्वास्थय पर्यवेक्षक/स्वास्थय कार्यकर्ता 2 दिवसीय प्रशिक्षण	47
3	आशा कार्यकर्ता को प्रशिक्षण	3000

vi) राष्ट्रीय क्षय–रोग उन्मुलन कार्यक्रम (National T.B. Elimination Programme)

यह कार्यक्रम प्रदेश में 1 सैनाटोरियम, 12. जिला क्षयरोग केन्द्रों, 77 क्षयरोग यूनिट, 239 माइक्रोस्कोपिक केन्द्रो, 102 नॉट लैव, 1 आई0आर0एल0 और 2 सी0 एवं डी0एस0टी0 लैब के माध्यम से चलाया जा रहा है ।

भारत सरकार द्वारा विश्व–बैंक की सहायता से संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम वर्ष 1995 में जिला हमीरपुर में पॉयलट प्रौजेक्ट के रूप में शुरू किया गया। इस पॉयलट प्रौजेक्ट के आधार पर राज्य के सभी जिलों को इस परियोजना के अन्तर्गत चरणबद्ध तरीके से लाया गया ।

i) प्रथम चरण :– हमीरपुर, कांगड़ा तथा मण्डी ।

ii) द्वितीय चरण :– शिमला, सिरमौर तथा सोलन।

iii) तृतीय चरण :– बिलासपुर, चम्बा, किन्नौर, कुल्लू, लाहुल–स्पिति तथा ऊना ।

राष्ट्रीय क्षय–रोग उन्मुलन कार्यक्रम के उद्देश्य :–

i) 90 % से अधिक दर से फेफड़ों की टी.बी. रोगियों का इलाज करना।

ii) 90% से अधिक नये बलगम पोजिटिव रोगियों की पहचान करना ।

राष्ट्रीय टी.बी. उन्मुलन कार्यक्रम के 5 मुख्य पहलू हैं:–

i) राजनैतिक एवम् प्रशासनिक वचन–बद्धता, जिसमें धन–राशि तथा स्टाफ को मुहैया करवाया जाना सुनिश्चित करना।

ii) सभी रोगियों का सूक्ष्मदर्शी निरीक्षण करना।

iii) अल्पावधि इलाज की बढ़िया किस्म की दवाओं की सप्लाई को बाधित न होने देना।

iv) स्वास्थ्य विभाग के प्रति उत्तरदायी प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा सीधी ईलाज सुविधा प्रदान करना।

v) उत्तरदायित्वता से कार्यक्रम का निरीक्षण करना।

वर्ष 2023 में अन्य उपलब्धियां इस प्रकार से हैं:

i)	चैस्ट सिम्पटोमैटिक मामलों की संख्या जिनको डाइगनोज किया गया ।	15,41,230
ii)	नये पॉजिटिव मामलों की संख्या जिनको कार्यक्रम के अन्तर्गत डॉट उपचार में डाला गया।	16,459
iii)	कुल क्षय रोगियों की संख्या जिनको उपचार हेतु डाला गया	16,439
iv)	रोगियों की संख्या जिनको डक्ट उपचार हेतु डाला गया	351

	भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य		
1	मामले खोजने की दर	>70%	98.3%
2	ईलाज दर	>85%	89%
3	मृत्यु दर	<4%	6%
4	असफलता दर	<4%	2%
5	अकरण दर (Default Rate)	<5%	3%

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय समय सीमा से पहले राज्य से तपेदिक (टी0 बी0) को खत्म करने का लक्ष्य तय किया है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने 24 मार्च 2018 को ऊना में एक बड़े सार्वजनिक समारोह में मुख्यमंत्री क्षय रोग औपचारिक रूप से योजना का शुभारंभ कर प्रदेश में लागु किया है।

- प्रदेश में 77 स्वास्थ्य खंड हैं: वर्तमान में राज्य में 72 (CBNAAT) और 61 (TRUENAAT) हैं। राज्य के पास 1 स्वास्थ्य ब्लॉक में कम से कम 1 NAAT सुनिश्चित करने की योजना है, राज्य चरणबद्ध तरीके से करेगा। राज्य का UDST प्रदर्शन भारत में उच्चतम में से एक है। अब राज्य पारंपरिक माइक्रोस्कोपी के स्थान पर निदान के NAAT की ओर बढ़ने की योजना बना रहा है, इसलिए अधिक NAAT मशीनों की आवश्यकता होगी। CTD से CBNAAT Cartridges की आपूर्ति सुनिश्चित करने का अनुरोध है।
- हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक डीआरटीबी रोगियों को अब उपचार की पूरी अवधि के लिए पूरक पोषण के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 1500/- रुपये मिलते हैं। यह निक्षय पोषण योजना के over

and above मिलते हैं। 31 मार्च 2024 तक पात्र एमडीआर टीबी रोगियों को 41.20 लाख रु. वितरित किए जा चुके हैं।

- अब तक 93% लाभार्थियों को एनपीवाई लाभ दिया गया है। 29.21 करोड़ रुपये की राशि का एनपीवाई लाभ अब तक भुगतान किया गया है।
- राज्य ने टीबी मुक्त हिमाचल ऐप नामक एक ऐप विकसित किया है, यह गूगल प्ले स्टोर में मुफ्त में उपलब्ध है। यह ऐप एक बिंदु मंच है, जहां उपयोगकर्ता को तपेदिक के लक्षणों और लक्षणों के बारे में जानकारी मिलती है, संबंधित एलटी के साथ निकटतम नैदानिक सेवाओं (डीएमसी और सीबीएनएएटी) का विवरण मिलता है। ऐप में आईईसी गतिविधि, उपचार पालन और साइड इफेक्ट की पहचान और प्रबंधन पर वीडियो भी अपलोड किए गए हैं।
- प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालयों पर ग्राम पंचायत पदाधिकारियों (प्रधान, उपप्रधान और ग्राम पंचायत सचिव) के लिए टीबी मुक्त हिमाचल पर विशेष जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- सरकार राज्य मे सामान्य आबादी के बीच जागरूकता फैलाने के लिए, राज्य भर के स्वास्थ्य ब्लॉकों में नुक्कड नाटक आयोजित किए गए थे।
- निजी क्षेत्र में टीबी उन्मूलन के लिए राज्य ने वहां तक पहुंचने वाले रोगियों के लिए टीबी देखभाल के मानकों को सुनिश्चित करने और उनके जेब खर्च को कम करने के लिए निजी क्षेत्र को संलग्न करने के लिए योजना विकसित की है।
- आज तक (2023) राज्य ने टीबी मामले की अधिसूचना में 98 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल कर लिया है।
- राज्य ने रविवार को एसीएफ गतिविधि शुरू की है, जिसमें आशा प्रत्येक रविवार को एक आशा क्लस्टर गांव में लगभग 80–100 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग करती है। आशा को राज्य योजना से 100 रुपये/गतिविधि दिवस का भुगतान किया जा रहा है।
- Total 6 सीबीएनएएटी मशीनों को 5 उप–जिला मेडिकल कॉलेज में खरीदा और स्थापित किया गया है।
- इस योजना से 11 आयुर्वेदिक अस्पतालों में नामित सूक्ष्म केंद्र (डीएमसीएस) स्थापित किए गए। राज्य ने राज्य भर में सभी आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों और आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों के लिए अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए और आयुर्वेद विभाग से भी योगदान बढ़ रहा है।
- राज्य ने टीबी रोगियों की सहायता के लिए 3 विशेष योजनाएं शुरू की हैं। हिमाचल प्रदेश में सितंबर 2016 से सभी डीआरटीबी रोगियों को हिम न्यूट्रीमिक्स नामक एक विशेष कैटेबल फॉर्मूलेशन के रूप में पूरक पोषण मिल रहा है।
- सीटी स्कैन और एमआरआई जैसे उन्नत रेडियोलॉजिकल परीक्षण या तो मुफ्त निदान के तहत या कार्यक्रम के तहत कवर नहीं किए जाते हैं। इसके माध्यम से एचपी राज्य 2019 से सभी टीबी मामलों के लिए सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन की लागत को कवर करता है।

- टीबी मुक्त हिमाचल अभियान पखवाड़ा का आयोजन किया गया, 61.33 लाख से अधिक जनसंख्या का परीक्षण किया गया, 46,521 थूक परीक्षण किया गया, 7,203 चेस्ट एक्स रे किया गया, 9,221 CB-NAAT परीक्षण किए गए और इस अभियान में कुल 196 नए टीबी रोगियों का निदान किया गया।
- आयुर्वेद विभाग औपचारिक रूप से टीबी मुक्त हिमाचल अभियान में लगा हुआ है। आयुर्वेद विभाग से 68 डॉक्टर। मास्टर ट्रेनरों के रूप में राज्य स्तर पर प्रशिक्षित, अब ये मास्टर ट्रेनर राज्य भर में जिला स्तर पर और प्रशिक्षण आयोजित कर रहे हैं।
- हर अस्पताल में एयरबोर्न संक्रमण नियंत्रण सहायता डेस्क (URI कॉर्नर) की स्थापना की गई, ताकि देखभाल संस्थानों के भीतर बीमारी के संचरण को रोकने में मदद मिल सके।
- भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य को टीबी कार्यक्रम के तहत देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में सम्मानित किया है।

vii) राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियन्त्रण कार्यक्रम(National Vector Born Disease Control Programme)

मलेरिया

यह कार्यक्रम राज्य में सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2023 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधियों का विवरण इस प्रकार हैः–

i)	रक्त पट्टिकाएं जो एकत्रित की गई	=	2,82,002
ii)	मलेरिया के लिए त्वरित निदान परीक्षण (RDT) द्वारा किये गए	=	15,983
iii)	रक्त पट्टिकाएं जो जांच की गई	=	2,58,856
iv)	मलेरिया के लिए त्वरित निदान परीक्षण (RDT) द्वारा जाचें गए	=	15,983
v)	घनात्मक पाई गई पट्टिकाए	=	23
vi)	पी–फेलसीपेरम	=	0
vii)	पी.वाई.वैक्स	=	23
viii)	मामलों की संख्या जिनका उपचार किया गया	=	23

मलेरिया की रोकथाम/उपचारके लिए जो दवाइयां प्रयोग की गई :–

क) क्लोरो–क्वीन (4ए–क्यु.)	202 गोलियां
ख) प्राईमा–क्वीन (2.5mg)	980 गोलियां
ग) प्राईमा–क्वीन (7.5mg)	176 गोलियां

कार्यक्रम के अन्तर्गत ए.पी.आई की दर में उल्लेखनीय कमी आई है। यह दर जो वर्ष 1999 में 1.1 प्रति हजार जनसंख्या थी वर्ष 2023 में घटकर शून्य हो गई है ।

इस कार्यक्रम के प्रभावी–तौर से कार्यान्वयन करने के उद्देश्य से जिला एवं खण्ड–स्तर पर समन्वय कमेटियों का गठन किया गया। राज्य–स्तर पर इस कार्यक्रम की देखरेख एवं मूल्यांकन निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी की सहायता से किया जाता हैं। वर्ष 2023 में डेंगु बुखार के 1,989 मामले, चिकन–गुनिया के 19 मामले आए, काला–आजार और जैपनीज एनसफलाईटिस का कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया ।

viii) राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम (National Aids Control Programme):

राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य वर्ष 1985 में पॉयलट कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया। वर्ष 1986 में चेन्नई (मद्रास) में एच.आई.वी. संक्रमण का पहला मामला प्रकाश में आया। वर्ष 1987 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एड्स कमेटी गठित की गई। एड्स कार्यक्रम में तीन मुख्य भाग जैसे चौकसी, रक्त सुरक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा सम्मिलित किए गए। वर्ष 1992 में इस कार्यक्रम को विश्व–बैंक की वित्तीय सहायता तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन की तकनीकी सहायता से सुदृढ़ीकरण किया गया।

प्रदेश में यह कार्यक्रम वर्ष 1992 में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया। राज्य में एच.आई.वी. का प्रथम पोजिटिव मामला वर्ष 1987 में पाया गया। यह विदेशी सैलानी था और वर्ष 1990 में दो और पॉजिटिव मामले प्रकाश में आए और ये भी विदेशी नागरिक थे। प्रदेशवासियों में से प्रथम पॉजिटिव मामला वर्ष 1992 में पाया गया और वह जिला हमीरपुर का निवासी था । इसके बाद राज्य के अन्य जिलों से भी ऐसे मामले प्रकाश में आए। वर्ष 2023–24 में प्रदेश में 2,98,738 ब्लड सीरम के नमूनों की जांच की गई जिनमें से 363 मामले एच.आई.वी. अनुकूल पाए गए । अनुकूल पाए गए मामलों में से 85 प्रतिशत से भी ज्यादा मामले जिला हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला, मण्डी, ऊना बिलासपुर तथा सोलन जिले के हैं।

इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य :–

1. एच.आई.वी.के संक्रमण से रोकथाम।
2. ब्लड सेफटी के तरीकों में सुधार लाना।
3. एच.आई.वी. की रूग्णता तथा मृत्यु दर को कम करना।
4. एच.आई.वी. तथा एड्स से उत्पन्न सामाजिक एवं आर्थिक प्रतिकूल प्रभाव को कम करना।

कार्यक्रम प्रबन्धन

इस कार्यक्रम के अर्न्तगत योजना तथा विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए राज्य में 15 मई, 1998 को राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाईटी का गठन किया गया। सचिव (स्वास्थ्य) इस सोसाईटी के अध्यक्ष हैं। सोसाईटी इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने, कार्यान्वयन, मौनिटरिंग एवं

मूल्यांकन के लिए जिम्मेवार है। जिला–स्तर पर इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए प्रत्येक जिले में एड्स कार्यक्रम अधिकारी अधिसूचित किये गये हैं। ये अधिकारी मुख्य–तौर पर जिले में कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाई जा रही गतिविधियों के प्रति जिम्मेवार हैं।

- **<u>प्राथमिक लक्षित हस्तक्षेप</u>:**

वर्ष 2023–24 के दौरान, राज्य में गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से 16 लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाएं कार्य कर रही थी, यह लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाएं महिला यौनकर्मियों के लिए, नशीली दवाओं के उपयोगकर्ताओं के लिए, उच्च जोखिम वाले प्रवासियों के लिए और समग्र कोर (MSM/ Migrant]/Trucker & FSW) के लिए कार्यकर रही है)

गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाओं की उपलब्धि:-

Indicators	FSW	MSM	IDU	TG	Migrant	Truckers
कवरेज	8687	1467	3533	51	40808	23306
एचआईवी परीक्षण	12864	2207	4808	98	10375	2676
एचआईवी पॉजिटिव	6	35	14	0	11	2
एआरटी	6	28	13	0	10	0

- क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में एक ओएसटी केंद्र और दो सैटेलाइट ओएसटी केंद्र अंब में हैं और तालीवाल जिला ऊना में काम कर रहा है। ऊना में कुल 195 ग्राहक दवा ले रहे हैं और लिंक्ड IDU (TI) SAHYOG के माध्यम से रेफर कर रहे हैं।
- एचआईवी परीक्षण और उद्योगों के भीतर काम कर रहे प्रवासियों के बारे में जागरूकता के उद्देश्य से राज्य में 15 नियोक्ता नेतृत्व मॉडल काम कर रहा है।
- हिमाचल प्रदेश की सभी जेलों में एचआईवी/एसटीआई/नशीले पदार्थों के सेवन पर सत्रों के माध्यम से 7822 कैदियों को जागरूक किया गया। 6552 की एचआईवी परीक्षण किया गया और 7822 की टीबी की जांच की गई जिसमें से 20 कैदियों को एचआईवी पॉजिटिव पाये गये।

<u>नियंत्रण कार्यक्रम एस.टी.आई/ आरटीआई क्लिनिक (डीएसआरसी)</u>

एड्स कार्यक्रम के अर्न्तगत राज्य में रोग का पता लगाने तथा उपचार करने के लिए राज्य में आर.टी.आई/एस.टी.आई के 20 क्लीनिक कार्यरत हैं। जोकि जिला स्तर के चिकित्सालयों में 12 तथा मैडीकल कॉलेज टांडा, इन्दिरा गांधीमेडिकल कॉलेज शिमला तथा कमला नेहरु चिकित्सालय शिमला, ई0एस0आई0 चिकित्सालय परवाणु, नागरिक चिकित्सालयों पालमपुर, रामपुर (खनेरी) और रोहडू तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नालागढ में स्थित हैं।

कार्यक्रम के अर्न्तगत वर्ष के दौरान की गई गतिविधियों का ब्यौरा इस प्रकार से हैः–

एस.टी.आई/ आरटीआई क्लिनिक में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या = 87394

वी.डी.आर.एल. / आर.पी.आर. परीक्षण की संख्या = 72407
(प्रयोगशालाओं में)

इनमें से जितने मामले सकारात्मक पाए गए = 204

सकारात्मक नमूनों की प्रतिशतता = 0.3%

प्रदेश में एस.टी.आई. के उपचारालयों के सुदृढ़ीकरण करने के लिए राष्ट्रीय एड्स संगठन तथा राज्य एस.टी.डी. संगठन द्वारा दवाईयां तथा प्रयोगशालाओं में प्रयोग होने वाले पदार्थों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाया जा रहा है। एस.टी.डी. तथा एड्स रोग से बचाव तथा नियन्त्रण के उद्देश्य से सभी एस.टी.आई. उपचारालयों में निरोध मुफ्त उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। एड्स रोग से बचाव के लिए सभी एस.टी.आई. क्लिनिकों में डिस्पोजेबल सिरिंजों का प्रयोग किया जा रहा है।

निरोध कार्यक्रम को प्रोत्साहन

एड्स नियन्त्रण प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अच्छे गुणवत्ता–युक्त निरोध उपलब्ध करवाने के लिए निम्न पग उठाए गए हैंः–

i) निजी तथा गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से निरोध का वितरण किया जा रहा है तथा हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के अधीन आने वाले सभी परचून डिप्पो, पैट्रौल पम्प, नाई की दुकान, सुलभ शौचालय, बस अड्डे के माध्यम से निरोध वितरित किये जा रहे हैं।

ii) एस.टी.डी. रोगियों को आर.टी.आई. क्लिनिकों के माध्यम से निरोध उपलब्ध करवाए जा रहे हैं ।

iii) निरोध के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से टारगैटिड इन्टरवैंशन परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

iv) गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से डिलक्स निरोध को बढ़ावा देने के लिए सोशल मार्केटिंग प्रारम्भ की गई और इन संगठनों के माध्यम से निरोध बेचे जा रहे हैं ।

सुरक्षित रक्त

राज्य के सभी जिला अस्पतालो, सुरक्षित रक्त उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सभी 18 ब्लड बैंकों का आधुनिकीकरण किया गया है। ब्लड बैंकों में अच्छी कार्य कुशलता को सुनिश्चित करने के लिए ब्लड बैंकों को सभी जरूरी उपकरण, दवाईयां तथा जरूरी वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही है। इंदिरा गांधी मैडीकल कॉलेज, डा.आर.पी.जी.एम.सी. टान्डा और आंचलिक चिकित्सालय मण्डीमें ब्लड कॉम्पोनैन्ट सैपरेशन यूनिट की स्थापना की गई है।

वर्ष 2023–24 में ब्लड बैंक की गतिविधियों का व्यौरा इस प्रकार है :–

1. कुल रक्त यूनिट जो एकत्रित किए गये : 58008
2. स्वैच्छिक रक्त दान मामलों की संख्या : 53351
3. रक्त यूनिट का कुल प्रतिस्थापन : 4657
4. स्वैच्छिक रक्त दान मामलों की प्रतिशतता : 92%
5. रक्त दान शिविर आयोजित किये गये : 677
6. रक्त यूनिट की संख्या जो रक्त दान शिविरों में एकत्रित किए गये । : 29953

एकीकृत परामर्श तथा जांच केन्द्रः

- 2023–24 के दौरान, राज्य में 55 एकीकृत परामर्ष तथा जांच केन्द्र स्टैंड अलोन –आईसीटीसी काम कर रहे थे जो लोगों को परामर्श और परीक्षण सेवाएं प्रदान कर रहे थे।
- हिमाचल प्रदेश के दूरदराज के इलाकों में एचआईवी जांच की सुविधा प्रदान करने के लिए 2 मोबाइल आईसीटीसी वैन काम कर रही हैं।
- राज्य के सभी पीएचसी, सीएचसी और उप केंद्र एएनसी और सामान्य ग्राहकों के लिए एचआईवी जांच सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं और साथ ही हिमाचल प्रदेश में 4 सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी–आईसीटीसी के माध्यम से एचआईवी परीक्षण सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
- कुल 536976 व्यक्तियों की जांच की गई और 636 एचआईवी पॉजिटिव पाए गए, इनमें से 128509 गर्भवती महिलाऐं में 12 एच.आई.वी पॉजिटिव पाए गए।

5(i) समुदाय आधारित स्क्रीनिंग (सीबीएस):-

वर्ष 2023–24 में सामुदायिक आधारित स्क्रीनिंग (सीबीएस) शुरू की गई है, इस अभियान के तहत कुल 266 शिविर आयोजित किए गए। अभियान के परिणाम निम्नलिखित हैं।

Indicators	HIV	Syphilis	Hep B	Hep C	TB
जाँच	17267	8819	15756	14039	7062
Detected Positive	1	7	27	83	1

देखभाल सहायता केंद्र

वर्ष 2023–24 के दौरान, पीएलएचआईवी के लिए विस्तारित और समग्र देखभाल और सहायता सेवा प्रदान करने के लिए हमीरपुर, और शिमला में 2 देखभाल सहायता केंद्र (सीएससी) कार्यरत थे।

एटी.रेट्रोपवायरल उपचार केन्द्र

वर्ष 2023–24 के दौरान एड्स रोगियों को उपचार और दवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य में आईजीएमसी शिमला, आर.एच हमीरपुर, नेर चौक मण्डी, मडिकल कालेज नाहन, और डॉ. आर.

पीजीएमसी टांडा में 4 एआरटी 2 एफ–एआरटी, बिलासपुर और ऊना और 5 लिंक एआरटी केंद्र कुल्लू, पालमपुर, देहरा, सोलन और नालागढ़ में कार्यरत थे। 31 मार्च 2024 तक 5645 पी.एल.एच.आई.वी जीवित हैं और एआरटी पर हैं।

हिमाचल प्रदेश में सभी एआरटी का विवरण

संकेतक	शिमला	हमीरपुर	टांडा	ऊना	मण्ड़ी	बिलासपुर	कुल पी.एल. एच.ए.
ए.आर.टी. ले रहें पी. एल.एच.आई.वी. की संख्या	1011	1421	1635	688	562	323	5645

हिमाचल प्रदेश में एड्स नियन्त्रण समिति की कल्याण योजनाऐं

- एच0आई0वी/ एड्स के साथ जी रहे व्यक्तियों को वित्तीय सहायता 1,500 रू प्रतिमाह।
- एच0आई0वी/ एड्स के साथ जी रहे व्यक्तियों और उनके एक सहयोगी को एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी में उपचार के लिए आने जाने का बस किराया सरकार द्वारा दिया जाता है। जिससे वह अपने जीवन को लम्बे समय तक जी सकते हैं। यह सहायता प्रदेश में स्थित 6 एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी केन्द्रों द्वारा प्रदान की जा रही है, ताकि इन्हें बिना व्यवधान उपचार मिल सके व उपचार सुचारू रूप से किया जा सके।
- एड्स के साथ जी रहें व्यक्तियों के बच्चों व अनाथो को शिक्षा एवम् अन्य जीवनयापन सम्बन्धित आवश्यकताओं के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता योजना वर्ष 2007–2008 से शुरू की गई है। इस योजना के तहत एड्स के साथ जी रहें व्यक्तियों के बच्चों को आर्थिक सहायता निम्नलिखित विवरण अनुसार दी जा रही है:–

0–3 वर्ष तक	300/रु प्रतिमाह
4–6 वर्ष तक	400/रु प्रतिमाह
7–9 वर्ष तक	500/रु प्रतिमाह
10–12 वर्ष तक	600/रु प्रतिमाह
13–15 वर्ष तक	700/रु प्रतिमाह
16–18 वर्ष तक	800/रु प्रतिमाह

- चिकित्सक की सलाह पर प्रदेश सरकार द्वारा एच0 आई0 वी0/एड्स के साथ जी रही महिलाओं के नवजात शिशु को एक वर्ष तक दूध पाउडर मुफ्त दिया जाता है, ताकि नवजात शिशु को एच0आई0वी0/एड्स माँ का दुध न उपलब्ध होने की स्थिति में पर्याप्त पोशक आहार मिल सके।
- न्युट्रिशिनल किट (ओटस/आटा बिस्कुट) 100 ग्राम प्रति दिन प्रति बच्चा को एक साथ एक माह के लिए (ART Centre) के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है।

- उच्च जोखिम समूह के लिए विशेष महिला उत्थान योजना महिला एवम् बाल विकास विभाग के सहयोग से चलाई जा रही है।

सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण एवम् जागरूकता अभियान

i) वर्ष 2023–24 में निम्नलिखित आई.ई.सी गतिविधियों और जागरूकता अभियान आयोजित किए गए:–

ii) एचआईवी/एड्स कार्यक्रम पर 4376 स्पॉट बिग एफएम, रेडियो मिर्ची, और रेडियो धम्माल के माध्यम से प्रसारित किए गए 1097 टोल फ्री नंबर, एंटी ड्रग एब्यूज डे विश्व एड्स दिवस, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और महिला दिवस के अभियान के दौरान ए.आई.आर षिमला, हमीरपुर और धर्मशाला के माध्यम से प्रसारित किए गए। विश्व एड्स दिवस, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और महिला दिवस पर अभियान के दौरान निजी टीवी चौनल और दूरदर्शन केंद्र शिमला के माध्यम से एचआईवी / एड्स की रोकथाम पर भी स्पॉट प्रसारित किए गए।

iii) हिमाचल प्रदेश में कॉलेजों में कुल 309 रेड रिबन क्लब कार्यरत हैं। हिमाचल प्रदेश में जिला एड्स कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा आरआरसी के सभी साथियों और युवा नेताओं को प्रशिक्षित किया गया है। वित्त वर्ष 2023–24 में कुल 14 नए आरआरसी खोले गए।

iv) रणनीतिक स्थानों पर 54 रेंटल होर्डिंग व 18 परमानेंट होर्डिंग लगाए गए हैं और उच्च प्रसार वाले जिलों में एचआईवी एड्स की रोकथाम पर संदेश प्रदर्शित गए हैं।

v) वर्ष 2023–24 के दौरान 10 एचआरटीसी बस स्टैंडों पर एलईडी स्क्रीन टीवी के माध्यम से एचआईवी एड्स की रोकथाम पर ऑडियो/विजुअल संदेश प्रदर्शित किए गए।

vi) HPSACS द्वारा आयोजित सभी अभियानों में अन्य सभी प्रमुख विभाग शामिल थे। प्रशिक्षण कार्यक्रम को मुख्यधारा में लाने के अभियान के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संगठनों ने अपने–अपने विभागों में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम में एचआईवी एड्स की रोकथाम पर एक सत्र आयोजित किया, जिसके माध्यम से लगभग 1852 लोगों को एचआईवी एड्स के प्रति जागरूक किया गया।

vii) एचआरटीसी के माध्यम से एचआईवी/एड्स की रोकथाम पर 268 बैक बस पैनल पैनल और 422 बसों में 844 इनर बस पैनल लगऐं गयें। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के माध्यम से 500 सूचना पैनल ATM में प्रदर्शित किये गये।

viii) जिला स्तर पर 10 जिलों में आरआरसी के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई है और जिला के विजेता हैं। स्तर। इसके अलावा, अंतिम प्रतियोगिता राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गई थी।

ix) एचपीएसएसीएस द्वारा वर्ष 2023–24 मेंवर्चुअल फजिकल मेनस्ट्रीमिंग प्रशिक्षण आयोजित किए गए और 143 प्रशिक्षण आयोजित किए गए– 13412 से अधिक लोगों को एचआईवी एड्स के प्रति संवेदनशील बनाया गया।

मास मीडिया, सोशल मीडिया अभियान आउटडोर मीडिया का उपयोग जनता के बीच अधिकतम जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया।

12. अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रम

i) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY)

आयुष्मान भारत–प्रधान मन्त्री जन आरोग्य योजना

- आयुष्मान भारत– प्रधान मन्त्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना का आरम्भ 23 सितम्बर, 2018 को किया गया है।
- प्रदेश के 5.32 लाख परिवारों को इस योजना में शामिल किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसमें कोई आयु सीमा निश्चित नहीं की गई है।
- लाभार्थी इस योजना का लाभ पूरे देश में किसी भी पंजीकृत अस्पताल में प्राप्त कर सकते हैं।
- आयुष्मान भारत–प्रधान मन्त्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 3227 उपचार प्रकियाओं (जिसमें डे – केयर सर्जरीज भी सम्मिलित है) को शामिल किया गया है।
- इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 में 60308 लोगों का निःशुल्क ईलाज किया गया है। जिन पर 81.21 करोड़ रूपये का खर्च आया है।

मुख्य मन्त्री हिमाचल हैल्थ केयर योजना–हिमकेयर

- जो परिवार आयुष्मान भारत या अन्य चिकित्सा प्रतिपूर्ती योजना में नही आते उनके लिए प्रदेश सरकार के अभिनव प्रयासों से हिमकेयर योजना आरम्भ की है। इस योजना का आरम्भ 1 जनवरी, 2019 से किया गया।
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसमें कोई आयु सीमा निश्चित नहीं की गई है।
- इस योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल परिवार तथा पंजीकृत रेहड़ी–फड़ी, मरनेगा कार्यकर्ता, वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु 70 वर्ष से अधिक है और बालाश्रमों में रह रहे अनाथ बच्चे जिनका नाम आयुष्मान भारत में नहीं है, से किसी भी तरह का प्रीमियम नहीं लिया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत 365 रूपये का प्रीमियम More than 40% disabled, Ekal Naari, Anganwari

Workers, Anganwari Helpers, Mid Day meal Workers, Part Time Workers, Daily Wage Workers, Contract Employees, Outsource Employees, ASHA के लिए निर्धारित किया गया है। अन्य परिवार 1000 रूपये देकर इस योजना में कार्ड बनवा सकते है।

- इस योजना में एक परिवार को अस्पताल में भर्ती होने पर पांच लाख रूपये के निःशुल्क ईलाज का प्रावधान है।
- हिमकेयर योजना में 31 मार्च 2024 तक 8.53 लाख परिवारों ने पंजीकरण करवाया है।
- योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 3227 उपचार प्रकियाओं (जिसमें डे – केयर सर्जरीज भी सम्मिलित है) को शामिल किया गया है।
- इस योजना के अन्तर्गत 283 अस्पतालों को पंजीकृत किया गया हैं जिसमें 146 अस्पताल निजी क्षेत्र में है।
- लाभार्थी स्वय www.hpsbys.in वैबसाईट पर जाकर अपना कार्ड बनवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अस्पतालों में भी कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य सेवा केन्द्रो (Common Service Centre/Lok Mitra kenra) के माध्यम से भी कार्ड जारी करने का कार्य किया जा रहा है जिसके लिए लाभार्थी प्रति परिवार 50 रूपये का शुल्क अदा कर रहा है।
- हिमकेयर योजना के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 में 2.91 लाख लाभार्थियों ने 389.38 करोड़ रूपये की निःशुल्क ईलाज की सुविधा का लाभ उठाया है।

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष

प्रदेश ने जरूरतमंद गरीब लोगों को जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, सहायता प्रदान करने हुेत मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष का गठन किया है। कोष का शुभारम्भ दिनांक 20 अक्तूबर, 2018 को किया गया है। कोष के अन्तर्गत सहायता हेतु वार्षिक आय सीमा 1 लाख 50 हजार रूपये है लेकिन हृदय रोग, रीढ़ की हड्डी के उपचार, कैंसर, किडनी प्रत्यारोपण, मस्तिष्क सम्बन्धित बीमारी ईत्यादि के लिए आय सीमा नहीं है। कोष से ईलाज के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 में 848 जरूरतमंद गरीब लोगों को ईलाज के लिए 5.45 करोड़ रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है।

मुख्यमन्त्री सहारा योजना

प्रदेश में मुख्म मन्त्री सहारा योजना का क्रियान्वयन दिनांक 15 जुलाई, 2019 से किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य लम्बी अवधि तक कुछ एक निर्दिष्ट रोगों जैसे Parkinson's, Malignant Cancer Disease, Paralysis Disease having permanent disability taking treatment for long basis or bed ridden, Muscular Dystrophy, Haemophilia, Thalassemia, Acute or chronic Renal failure or any other disease

which renders a person permanently incapacitated से पीड़ितों के उपचार के दौरान रोगियों व उनके परिचरों को आने वाली वित्तीय और अन्य समस्याओं से निजात दिलाना है। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को प्रति माह 3000 रूपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में तक इस योजना में 30834 लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है।

ii) राष्ट्रीय एम्बुलैंस सेवा (National Ambulance Service)

स्वास्थ्य सम्बन्धी आपातकालीन परिस्थिति में पहला घण्टा अति महत्वपूर्ण है यदि इस समय में प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध हो तो बहुमूल्य जीवन बचाया जा सकता है। इसी उद्देश्य के लिए ये योजना 2010 से शुरू की गई थी अब पूरे राज्य में यह सेवाएं प्रदान की जा रही है। प्रदेश में जिला सोलन के धर्मपुर में आपातकालीन सुविधा केन्द्र विभिन्न कार्य कर रहा है जिसमें कि विभिन्न आपातकालीन कॉल सुनी जाती है और आपाताकालीन में चिकित्सक द्वारा EMT को जरूरत पडने पर उचित सलाह देते है । आपातकालीन सुविधा केन्द्र में क्षेत्रवार सभी रोगी वाहनों का ब्यौरा उपलब्ध है तथा कॉल प्राप्त होने के पश्चात् घटना स्थल पर शीघ्र अति शीघ्र औसत समय ग्रामीण क्षेत्रों में 31.26 मिनट व शहरी क्षेत्रों में 10.50 मिनट तक रोगी वाहन को उपलब्ध करवाया जाता है। इस आपातकालीन सुविधा केन्द्र में सभी दूरभाष नम्बरों, मोबाईल नम्बरों से टॉल फ्री (Toll Free) नम्बर 108 पर कॉल की जा सकती है।
इस योजना पर **वर्ष 2023–24** में **रू0** 46.65 **करोड परिचालन** तथा सम्बन्धित खर्च (Provisional) व्यय किये गये हैं।

योजना के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 में विभिन्न सेवाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

सेवाओं का ब्यौरा	कुल सेवाएं
रोगी वाहन सेवा प्राप्त की गई	1?45,887
(मेडिकल सम्बन्धी)	1,36,920
गर्भावस्था सम्बन्धित	24,941
ट्रॉमा (सड़क दुर्घटनाएं)	5,050
श्वास सम्बन्धी रोग	14,889
हृदय रोग सम्बन्धित	10,861
पुलिस केस सम्बन्धी	8,693
आग लगने के मामले	274

निःशुल्क वाहन की सुविधा JSSK 102

गर्भावस्था के दौरान घर से स्वास्थ्य संस्थान आने के लिए राष्ट्रीय एम्बुलैंस स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत निःशुल्क एम्बुलैंस सेवा 108 व जटिलता होने पर एक स्वास्थ्य संस्थान से दूसरे स्वास्थ्य संस्थान तक निःशुल्क एम्बुलैंस सेवा तथा वापिस घर पहुंचाने के लिए जननी एक्सप्रैस 102 वाहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

प्रदेश में एक 148 जननी शिशु सुरक्षा योजना (JSSK) एम्बुलैंस है इसके माध्यम से गत वर्ष में प्रदेश में 29,536 लाभार्थियों को निःशुल्क घरवापसी सेवा प्रदान की गई है जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है ।

क्रम संख्या	सेवा ब्यौरा	सेवा संख्या
1	Total No. of 102 NAS Ambulance	148
2	Total Beneficiaries Served	29,536
3	Total Drop Backs	25,016
4	Total Pick Ups	101
A	Drop Back - New Mothers	29,070
B	Drop Back - Infants	651
C	Drop Back - Neonates	1,759
D	Drop Back - Sterilization Patients	467
F	Dropback - COVID Recovered Patients	17
G	Trips - COVID-19 Sampling	2,403

जीवन धारा एम.एम.यू

हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिनांक 18.11.2020 को 10 मेडिकल मोबाईल यूनिटों को हरी झंडी दिखाई। ये मेडिकल मोबाइल ईकाइयां हिमाचल प्रदेश के जिला चम्बा, कांगड़ा, कुल्लु, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन के दूरदराज के क्षेत्रों मे जा कर निशुल्क सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

जीवनधारा ने अब तक 90,860 ओ0पी0डी0 सेवाएं दी हैं और अब तक 70,103 लैब टैस्ट भी मेडिकल मोबाइल यूनिटों द्वारा किए गए हैं। 2018 में प्रयास एन.जी.ओ. के अर्न्तगत जिला ऊना व हमीरपुर में एक–एक एम0एम0यू0 शुरू की गई है।

जीवन धारा योजना के अर्न्तगत लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के अलावा सूचना शिक्षा एवम सम्प्रेषण गतिविधियों का लाभ जन–जन को घर द्वार पहुँचाने की सुविधा गाड़ी में लगे टी. वी. द्वारा दी जाएगी। इस के अतिरिक्त कैंसर की स्क्रीनिंग एवम मुफ्त दवाई व खून की जाँच की सुविधा भी दी जाएगी व हिम सुरक्षा जगरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। पहले चरण में प्रदेश के सात जिलों के लिए एम.एम.यू. लॉन्च किए गए है शिमला –02, सोलन–01, कागडा –02, कुल्लू –01, मण्डी–02, सिरमौर –01, चम्बा –01

बाइक एम्बुलैस

हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक 06.10.2020 को चार नए फर्स्टरिस्पोंडर बाइक एम्बुलैस का शुभारम्भ किया, जो जरूरतमंद मरीजों को त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए मंडी और धर्मशाला शहर में तैनात किया गया है । फर्स्टरिस्पॉन्डर बाइक सर्विस को टोल फ्री नम्बर 108 पर कॉल किया जाता है यह बाइक एम्बुलैस के साथ साथ पुर्व अस्पताल देखभाल ,सुविधाओं जैसे दवाईयां चिकित्सा उपभोग समाग्रियों और चिकित्सा उपकारणों से सुसज्जित है जो रोगियों के स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है ।

बाइक एम्बुलैस का मुख्य उदेश्य चार पहिया एम्बुलैस के लिए दुर्गम क्षेत्रों तक पहुच प्राप्त करना और यातायात की स्थिति में जल्द से जल्द पहुचना था। पिछले वर्षो के आकडें बताते है कि शिमला शहर में ई.एम. मामलों में फोर व्हीलर एम्बुलैस की तुलना में बाइक एम्बुलैस सात मिनट पहले पहुचाती है । अब तक इन बाइक एम्बुलैसों ने 4,736 लाभार्थियों को आपातकालीन सेवाएं प्रदान की है ।

iii) एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP/IHIP)

एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) विभिन्न ऊर्ध्वाधर कार्यक्रमों के निगरानी घटकों के कार्यात्मक एकीकरण पर ध्यान देने के साथ समय पर और प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए रोग निगरानी की एक विकेन्द्रीकृत प्रणाली है।

इस परियोजना का उद्देश्य स्वास्थ्य योजना, प्रबंधन और नियंत्रण रणनीतियों के मूल्यांकन में उपयोग के लिए रोग निगरानी की दक्षता में सुधार करना है।

इस योजना के तहत 37 सिन्ड्रोंम/बीमारियों की निगरानी दैनिक आधार पर की जाती है । नवम्बर 2018 में इन बीमारियों की निगरानी के लिए 'एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच' (IHIP Portal) का निमार्ण किया गया जिसके तहत मोबाइल एप्लिकेशन/ desktop के माध्यम से वास्तविक समय डाटा दैनिक आधार पर आईएचआईपी पोर्टल अपलोड किया जाता है ।

इन बीमारियों के लिए जिलावार निम्नलिखित केन्द्र स्थापित किये गये हैः–

क्रम संख्या	जिले का नाम	Form "S"	Form "P"	Form "L"
1	बिलासपुर	123	51	20
2	चम्बा	178	57	19
3	हमीरपुर	153	41	23
4	कांगड़ा	449	130	20
5	किन्नौर	35	29	6
6	कुल्लू	101	37	18
7	लाहौल एवं स्पिति	35	18	5
8	मण्डी	335	109	45
9	शिमला	242	131	28
10	सिरमौर	147	56	15

11	सोलन	183	61	21
12	ऊना	137	39	15
कुल		2118	759	235

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में 5 विशेष बीमारियों की निगरानी दैनिक आधार पर की जाती है और उसके अनुसार प्रदेश में इन बिमारियों की रोकथाम के लिए विशेष कदम उठाये जाते है । पिछले चार वर्षों में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दैनिक आधार पर राज्य में विशेष बीमारियों की निगरानी के जो आकड़े सामने आये वे निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	**बिमारी का नाम**	**टेस्ट**	**साकरात्मक मामले**
	डेंगू		
1.	स्क्रब टाईफस	9387	1911
2.	स्वाईन फ्लू	555	52
3.	हैपेटाईटिस 'ए'	1218	455
4.	हैपेटाईटिस 'ई'	1089	113

राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियन्त्रण कार्यक्रम (NVHCP)

हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियन्त्रण कार्यक्रम (NVHCP)जुलाई 2019 में आरम्भ किया गया। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 2 मॉडल उपचार केन्द्र आईजीएमसी तथा डा. आरपीजीएमसी टांडा तथा 12 उपचार केन्द्र जिलों में कार्यरत है जहां पर हैपेटाइटिक– बी/सी के पीड़ित रोगियों के निदान व उपचार की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है ।

प्रत्येक जिला स्तर के अस्पताल के एक चिकित्सा अधिकारी तथा एक प्रयोगशाला तकनीशियन को इस प्रयोजन के लिए आई.जी.एम.सी. शिमला प्रशिक्षित किया जा चुका है ।

iv) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम (National Urban Health Programme)

भारत सरकार तथा राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्धारा यह कार्यक्रम वर्ष 2013–14 में आरम्भ किया। इस कार्यक्रम के तहत तीन शहरों क्रमशः शिमला, सोलन तथा कांगड़ा को शामिल किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्वेश्य शहरी क्षेत्रों में लोगों को मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। इस परियोजना के तहत इन तीन जिलों में 17 ए.एन.एम. विभिन्न संस्थानों में कार्यरत है। शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के विकास के लिए 21 शहरी पी.एच.सी. (शिमला 15 और कांगडा में 6) स्थापित है। इस कार्यक्रम के तहत 34 आशा अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है और 58 नई आशा के पदों को भरने की मंजुरी भी दी गई है। अब शहरी क्षेत्रों में आशा के स्वीकृत पदों की संख्या 92 हो गई है।

v). कैंसर, मधुमेह, हृदय रोगों तथा स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियन्त्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम(National Programme for control of Cancer, Diabetes, Heart ailments and Stroke)

भारत सरकार ने इस कार्यक्रम को देश के 21 राज्यों के 100 जिलों में वर्ष 2010–11 में आरम्भ किया। प्रदेश के चम्बा, लाहौल एवं स्पिति तथा किन्नौर जिले भी इसके अंतर्गत चयनित किये गए थे।

यह कार्यक्रम चम्बा जिले में वर्ष 2010, लाहौल एवं स्पिति तथा किन्नौर में वर्ष 2011 में आरम्भ किया गया। वर्ष 2014–15 में यह कार्यक्रम प्रदेश के बचे हुए सभी जिलों में आरम्भ कर दिया गया।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 30 वर्ष की ऊपर की आयु वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति की सभी गैर–संचारी रोग जैसे कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप एवं अन्य दीर्घकालीन समस्याओं के लिए निशुल्क वार्षिक जांच का प्रावधान है।

प्रदेश सरकार ने गैर संचारी रोगों के बढ़ते प्रकोप से बचने के लिए एक विस्तृत योजना मुख्यमंत्री निरोग योजना आरम्भ की है। इस योजना को वर्ष 2019–20 से कार्यन्वित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत समस्त लोगों की वार्षिक स्वास्थ्य जांच का प्रावधान किया गया हैं। चूंकि 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों की वार्षिक स्वास्थ्य जांच के लिए आर0बी0एस0के0 कार्यक्रम चलाया जा रहा है और 30 वर्ष से उपर के लोग राष्ट्रीय गैर संचारी रोगों की रोकथाम व नियंत्रण कार्यक्रम का लाभ उठा रहे हैं इसलिए प्रदेश सरकार ने 18 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के लिए भी वार्षिक स्वास्थ्य जांच व निदान का प्रावधान किया हैं। यह योजना पूरे देश में इस तरह का पहला प्रयास है और 31.03.2024 तक इस योजना में 18 वर्ष से उपर के 25.60 लाख लोगों को पंजीकृत किया गया है। जोकि कुल लाभार्थियों (+18) का 68% भाग है। इस योजना के अर्न्तगत आशा कार्यकर्ता घर–घर जाकर 18 वर्ष से उपर के सभी लोगों से 25 प्रश्न पुछती हैं और यदि किसी प्रश्न का उतर हां में हो तो उसे तुरन्त नजदीकी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पास बी0पी0, मधुमेह व अन्य जांच के लिए भेजा जाता है और यदि सभी प्रश्नों का उतर नहीं होता है तो भी वार्षिक स्वास्थ्य जांच की सलाह दी जाती है यदि जांच में कोई लक्षण आते है तो तुरन्त डाक्टर के पास जांच की सलाह दी जाती है ताकि उचित निदान करके ईलाज शुरु किया जा सके। इस योजना के अर्न्तगत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के द्वारा 13,06,942 लोगों की जांच की गई ओर डाक्टर के पास परार्मश हेतु भेजा गया और डाक्टरों ने 4,98,724 लोगों का निदान करके उचित उपचार शुरु कर दिया है। इस कार्यक्रम की निगरानी ई–हेल्थ कार्ड द्वारा होती हैं और सारी जानकारी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा आशा के सहयोग से अनमोल टेब्लेट के माध्यम से की जा रही है।

इस कार्यक्रम के अतिरिक्त 21–4–2014 को पक्षाघात कार्यक्रम (Telestroke Project) का आरम्भ किया गया तथा इस कार्यक्रम के अर्न्तगत वर्ष 2022–23 में 54 पक्षाघात के रोगियों का उपचार किया गया। कार्यक्रम के प्रारम्भ से 31 मार्च 2023 तक 661 पक्षाघात के रोगियों का उपचार किया गया।

इसके अर्न्तगत वर्ष 2021–22 में कैंसर के मरीजों के लिए जिला अस्पताल बिलासपुर, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, ऊना, सोलन, धर्मशाला, चम्बा तथा नागरिक अस्पताल रोहडू एवं रामपुर में कीमोथेरेपी की सुविधा प्रारम्भ की गई। इस कार्यक्रम के प्रारम्भ से अर्न्तगत वर्ष 2023–24 में 828 कैंसर के रोगियों को कीमोथेरपी की सुविधा प्रदान की गई। कार्यक्रम के प्रारम्भ से 31 मार्च 2024 तक 5,271 कैंसर के रोगियों को कीमोथेरपी की सुविधा प्रदान की गई।

इस वर्ष प्रदेश के 9 चिन्हित बड़े अस्पतालों में Palliative care कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और मार्च 2024 तक 1913 बहिरंग और 475 अन्तरंग रोगियों को लाभन्वित किया गया है।

vi) वृद्धों के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए कार्यक्रम (National Health care for Elderly)

यह कार्यक्रम वर्ष 2010–11 से भारत सरकार ने देश के 21 राज्यों के 100 जिलों में चलाया था। प्रदेश के चम्बा, लाहौल–स्पिति व किन्नौर जिले भी इन चयनित जिलों में से थे। वर्ष 2015–16 से शेष 9 जिलों मे भी यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इन 9 जिलों के क्षेत्रीय चिकित्सालयों में वृद्वों के इलाज के लिए जीरीयट्रीक वार्ड है। इस कार्यक्रम के अर्न्तगत 47 फिजीयोंथैरपी यूनिट जिनमें 11 जिला अस्पताल 26 नागरिक चिकित्सालयों 5 वृद्व आश्रम 2 पंचायते और 3 डे–केयर केन्द्र शामिल है।

(vii) कायाकल्प कार्यक्रम

कायाकल्प कार्यक्रम : यह कार्यक्रम स्वच्छ भारत अभियान के तहत 15 मई 2015 को MoHFW द्वारा शुरू किया गया था।

1) सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं मंल स्वच्छता, स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण प्रथाओं को बढ़ावा देना। 2)मानक प्रोटोकॉल का पालन करने में अनुकरणीय प्रदर्शन के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रोत्साहित करना। 3)स्वच्छता, साफ–सफाई और स्वच्छता से संबंधित प्रदर्शन के निरंतर मूल्यांकन और सहकर्मी समीक्षा की संस्कृति को विकसित करना। 4) सकारात्मक स्वास्थ्य परिणामों से जुड़ी स्थायी प्रथाओं को बनाना और साझा करना।

कायाकल्प पुरस्कार 2023–24: (Kayakalp)– संस्थानों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है::

श्रेणी 1 – सभी जेडएच/आरएच/डीएच, सीएच और सीएचसी जिनमें 4000 और उससे अधिक/वर्ष इनडोर मरीज हैं।

श्रेणी 2 – सीएच और सीएचसी में <4000/वर्ष इनडोर मरीज हैं

श्रेणी 3 – जिलेवार सभी पीएचसी

श्रेणी 4 – जिलेवार सभी क्रियाशील एचडब्ल्यूसी/एससी

उपलब्धियाँ :– वित्त वर्ष 2023–24 के लिए पुरस्कार और पुरस्कार राशि

श्रेणी I, II, III और IV में 51 (प्रथम द्वितीय और तृतीय) पुरस्कार

सभी श्रेणियों में 400 प्रशस्ति पुरस्कार कुल मिलाकर रु. 286 लाख पुरस्कार राशि आबंटित

मेरा अस्पतालः– (Mera Asptal) मरीजों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने की एक पहल। इसे भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 08,2019 को लॉन्च किया गया था राज्य में 11 जिला अस्पतालों, 7 सिविल अस्पतालों, 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 20 स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को लागू किया गया है। 21 सिविल अस्पताल और सीएचसी और 20 यूपीएचसी में लागू किया जाना है जिसके लिए भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षण आयोजित किया जाना है।

राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रमः (NQAS)

पृष्ठभूमि :– सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सस्ती, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा नवंबर 2014 में गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह MOHFW द्वारा निर्धारित मानकों और मापदंडों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का एक राष्ट्रीय प्रमाण पत्र है। राष्ट्रीय प्रमाणपत्र के साथ सुविधाओं को प्रति बिस्तर 10000 रुपये की दर से प्रोत्साहन दिया जाता है।

उपलब्धियाँः एनक्यूएएस राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित सुविधाएंः–

- जेडएच धर्मशाला, कांगड़ा
- सीएच अंब, ऊना
- सीएच हरोली ऊना
- सीएच टौणीदेवी हमीरपुर
- 2 एचडब्ल्यूसी (तुंग और सुलपुर बही जिला मंडी)

1 सीएच और 70 एचडब्ल्यूसी एचएससी राज्य प्रमाणित हैं, और राष्ट्रीय प्रमाणन की प्रक्रिया में हैं

लक्ष्य (LaQshya Maternal OT & Labour Room) (प्रसूति कक्ष एवं प्रसूति ओटी गुणवत्ता पहल)

उद्देश्यः

- मातृ और नवजात शिशु की रुग्णता और मृत्यु दर को कम करना ।
- प्रसव के दौरान और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान देखभाल की गुणवत्ता में सुधार।
- लाभार्थियों की संतुष्टि, सकारात्मक प्रसव अनुभव को बढ़ाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में भाग लेने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को सम्मानजनक मातृत्व देखभाल (आरएमसी) प्रदान करना।
- लक्षित लाभार्थी: सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कराने वाली प्रत्येक गर्भवती महिला और नवजात शिशु।
- कार्यक्रम एलआर, एमओटी और प्रसूति आईसीयू और एचडीयू में गर्भवती महिलाओं की देखभाल

की गुणवत्ता में सुधार करेगा।

उपलब्धियाँः LaQhaya प्रमाणित सुविधाएंः–

- जेडएच धर्मशाला, कांगड़ा – राष्ट्रीय
- आरएच चंबा– राज्य
- सीएच सुंदरनगर – राज्य
- आरएच रिकांगपिओ – राज्य
- जीएमसी नेर चौक मंडी– – राज्य
- डी डी यू शिमला – राज्य

राज्य मुस्कान MusQan

- MoHFW ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में बच्चों के अनुकूल सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) ढांचे के भीतर, बाल चिकित्सा आयु समूह (0–12 वर्ष) के लिए एक नई गुणवत्ता सुधार पहल ''मुस्कान'' शुरू की है।
- मस्कान का लक्ष्य सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में समय पर, प्रभावी, कुशल, सुरक्षित, व्यक्ति–केंद्रित, न्यायसंगत और एकीकृत गुणवत्ता सेवाएं सुनिश्चित करना है। मुस्कान का उद्देश्य रोकथाम योग्य नवजात शिशु और बाल रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में गुणवत्तापूर्ण बाल–अनुकूल सेवाओं का प्रावधान सुनिश्चित करना है।

उद्देश्य:

- 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में रोकी जा सकने वाली मृत्यु दर और रुग्णता को कम करना।
- राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों (एनक्यूएएस) के अनुसार देखभाल की गुणवत्ता (क्यूओसी) को बढ़ाना।
- साक्ष्य–आधारित प्रथाओं और मानक उपचार दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल के पालन को बढ़ावा देना।
- नवजात शिशुओं और बच्चों को मानवीय और सहायक वातावरण में बाल–सुलभ सेवाएं प्रदान करना।
- अपने बच्चे के लिए स्वास्थ्य देखभाल की मांग करने वाली मां और परिवार की संतुष्टि बढ़ाने के लिए।
- प्रमाणीकरण के लिए मस्कान की प्राथमिकता वाली सुविधा ।
- आईजीएमसीएच एवं केएनएच शिमला ।
- एसएलबीएसजीएमसीएच नेरचौक
- आरएच कुल्लू
- आरएच चंबा

उपलब्धियाँ :– सीएच सुंदरनांगर को मुस्कान स्टेट सर्टिफाइड किया गया है।

viii)जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण प्रणाली(Birth and Death Registration)

जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम (आरबीडी अधिनियम) को 1969 में पूरे देश में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण में एकरूपता और तुलनात्मकता को बढ़ावा देने और उसके आधार पर महत्वपूर्ण आंकड़ों के संकलन के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम के अधिनियमित होने के साथ ही भारत में जन्म, मृत्यु और मृत जन्म का पंजीकरण अनिवार्य हो गया है। केंद्र सरकार के स्तर पर भारत के महापंजीयक (आरजीआई) पूरे देश में पंजीकरण की गतिविधियों का समन्वय और एकीकरण करतें हैं। हालांकि, इस कानून का कियान्वयन राज्य सरकार के पास है । देश में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है।

राज्य–स्तर पर

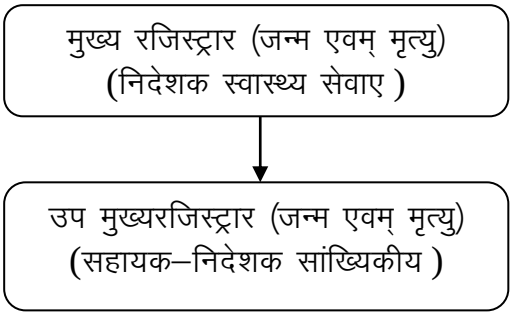

जिला–स्तर

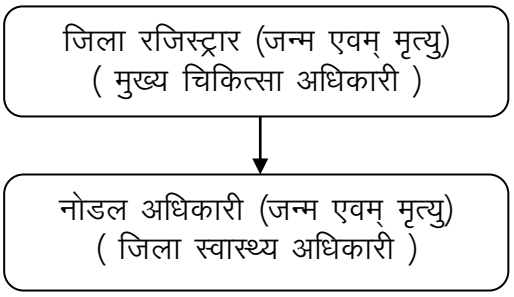

खण्ड स्तर पर

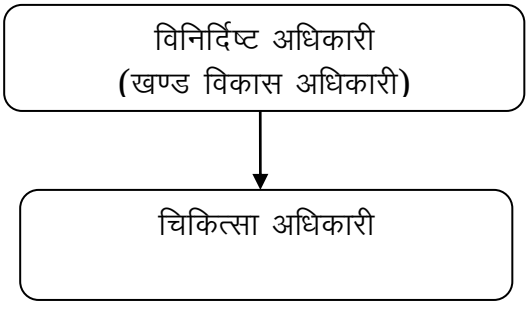

शहरी क्षेत्रों पर

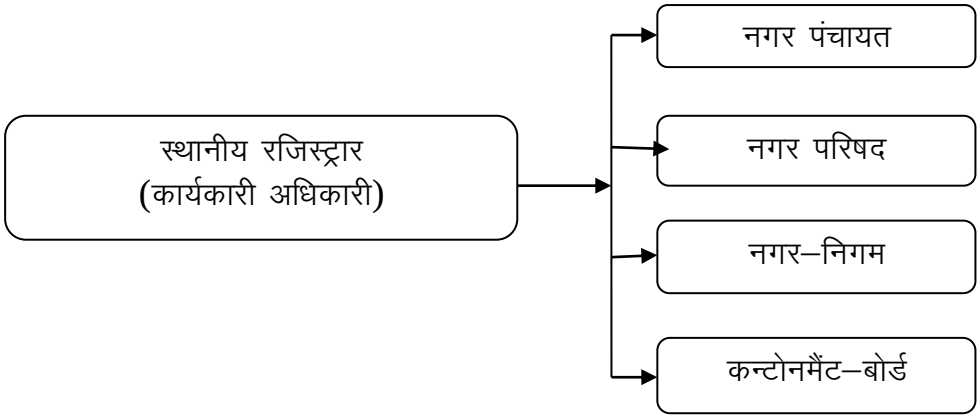

ग्रामीण क्षेत्रों पर

रजिस्ट्रार
(पंचायत सचिव/पंचायत सहायक)

वर्ष 2015–2016 में हिमाचल प्रदेश के समस्त आंचलिक चिकित्सालयों, क्षेत्रीय चिकित्सालयों, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय चिकित्सालयों के अतिरिक्त समस्त नागरिक चिकित्सालयों, सामुदयिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को भी जन्म–मृत्यु पंजीकरण इकाई के रूप में खोला गया है तथा संस्थान के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को रजिस्ट्रार (जन्म व मृत्यु) नियुक्त किया गया है, ताकि लोगों को चिकित्सालय में हुए जन्म व मृत्यु के प्रमाण पत्र वहीं से प्राप्त हो सकें।

वर्ष 2015 में भारत के महापंजीयक नई दिल्ली द्वारा विकसित आन लाइन नागरिक पंजीकरण प्रणाली के वेब पोर्टल www.crsorgi.gov.in को पूरे प्रदेश में लागू करने कर दिया गया है। तदोपरान्त इसे शहरी क्षेत्रों में 1 मई 2015 से व ग्रामीण क्षेत्रों में 1 जुलाई 2015 से लागू किया गया। वर्ष 2024 में वेब पोर्टल www.crsorgi.gov.in को अद्यतन कर दिया गया है और पुनोत्थान करके वेब पोर्टल का पता बदलकर dc.crsorgi.gov.in कर दिया गया। इसके अर्न्तगत प्रदेश में 1 जनवरी 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक 94,235 जन्म व 49,861 मृत्यु का ऑन–लाईन पंजीकरण किया गया है।

ix) सूचना, शिक्षा एवम् सम्प्रेषण कार्यक्रम (IEC Programme)

स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालन से सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों की समितियों का एकीकरण किया जा चुका है। परिणामस्वरूप सभी आई.ई.सी. गतिविधियां भी मिशन के सौजन्य से संचालित की जा रही है। जिला स्तर पर सभी समितियां आई.ई.सी. के सहयोग से गतिविधियां संचालित कर रही हैं और खंड स्तर पर खण्ड़ चिकित्सा अधिकारी के मार्गदर्शन द्वारा पर्यवेक्षक और स्वास्थ्य शिक्षक एकजुट हो कर राष्ट्रीय कार्यक्रमों को प्रदेश के कोने–कोने में विस्तार से इन कार्यक्रमों की जानकारी द्वारा लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि लोगों को विभाग द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों की पूर्ण जानकारी हो और वे इसका पूरा–पूरा लाभ उठा सकें। स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय कार्यक्रमों की जानकारी लोगों तक स्वास्थ्य शिक्षा, स्थानीय मेलों, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में प्रदर्शनी द्वारा, फोक मीडिया शो, परामर्शदाता शिविर, रेडियो विज्ञापन, स्वास्थ्य

दिवस पर खंड और जिला स्तर पर गतिविधियों का संचालन और दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित विविध कार्यक्रम सैमिनार और कार्यशालाओं द्वारा पंहुचाई जाती है। स्वास्थ्य दिवस के मौके पर प्रतिमाह राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत पूरे प्रदेश में राज्य, जिला व खण्ड स्तर पर विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण के द्वारा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है । जिसमें विभाग में बनी समितियां कार्यक्रमों में व्यय करती है और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के उद्देश्य अनुसार जनता की प्रतिभागिता सुनिश्चित करती है। पूरे वर्ष गतिविधियों का संचालन मिशन में उपलब्ध बजट व योजना में स्वीकृत गतिविधियों पर निर्भर करता है। केन्द्रीय सरकार की सभी प्रचार शाखाएं व जन सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग अपने स्तर पर भी मिशन की गतिविधियों को प्रचारित कर रहे हैं ।

वर्ष 2023–24 के अंतर्गत सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण कार्यक्रम (IEC)

क्रम संख्या	गतिविधियॉ	टिप्पणी
1.	प्रकाशन माध्यम	सूचना एंवम जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से विभिन्न अखबारों में एवं विभाग द्वारा मेगज़ीन व स्मारिकाओं मे नियमित रूप से तथा विषेष अवसरों जैसे– स्वास्थ्य दिवस व बीमारियों जैसे–स्क्रब टायफस, स्वाईन फ्लू के प्रकोप में विज्ञापन जारी किए गए। अखबारों में स्वास्थ्य सम्बन्धित समाचारों का प्रतिदिन निरीक्षण करती है और नाकारात्मक खबरों की विभागीय जांच होती है।
2.	जन संचार माध्यम (टेलीविजन / रेडियों विज्ञापन)	छूरदर्षन, जनता टीवी, न्यूज 18– पंजाब, हरियाणा, हिमाचल एंवम सिटी चैंनल, शिमला के माध्यम से अनेक कार्यक्रमों व बीमारियों से संबन्धित विज्ञापन व वार्ताएं प्रसारित की गयी। प्रसार भारती–अखिल भारती रेडियों, एफ एम शिमला, रेडियों मिर्ची एवं बिग एफ एम से विभिन्न कार्यक्रमों व बीमारियों से संबन्धित जिंगल, हैलो डॉक्टर व रेडियो डॉक्टर कार्यक्रमों का नियमित व विशेष अवसरों जैसे–स्वास्थ्य दिवस व बीमारियों जैसे–स्क्रब टाईफस, स्वाईन फ्लू के प्रकोप में प्रसारण किए गए।
3.	डिजिटल मिडिया	विभिन्न वैब पोर्टल एंवम हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में विभिन्न कार्यक्रमों से संबन्धित विज्ञापन पट्टिकाएं लगायी गयी तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम के कंप्युट्रिकृत यात्री सूचना प्रणाली के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों से संबन्धित विज्ञापनों के जिंगल प्रसारित किये गए।
4	स्वास्थ्य दिवसों का आयोजन	राज्य, जिला व खण्ड स्तर पर आयोजन जिसके अंतर्गत रैली, स्वास्थ्य दौड़, स्कूली बच्चों के लिए पोस्टर व पेन्टिंग प्रतियोगिता, प्रश्नोतरी प्रतियोगिता, जन–जागरूकता कार्यक्रम प्रसारित किये गए।

वर्ष के दौरान सूचना शिक्षा एंवम सम्प्रेषण गतिविधियों में लगभग 516 लाख रु0 खर्च किए गए।

13. <u>प्रशिक्षण कार्यक्रम(Training Programme)</u>

प्रदेश में चिकित्सा संस्थाओं में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला, डॉ राजेन्द्र प्रसाद मैडिकल कॉलेज टांडा (कांगडा) राज्य संस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, परिमहल शिमला, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र छैब, (कांगड़ा), जिला चिकित्सालयों, खण्ड स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस वर्ष विभिन्न वर्गों के प्रशिक्षणार्थियों को निम्न स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

(i)<u>राज्य संस्थान स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण परिमहल शिमला में 2023–24 में प्रशिक्षण गतिविधियों का ब्यौरा इस प्रकार है</u> :–

क्रम संख्या	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण की अवधि (दिनों में)	संख्या जो प्रशिक्षित किए गए	दलों की संख्या जो प्रशिक्षित किए गए
1	दक्ष प्रशिक्षण	5	171	20
2	एनटीईपी के तहत फ्रंट लाइन टीबी स्टाफ का क्षमता निर्माण	4	60	2
3	आरटीआई अधिनियम 2005 के लिए प्रशिक्षण	2	27	1
4.	एफबीएनसी	5	16	1
5	प्रशिक्षकों का प्रषिक्षण	3	3	1
6	एनसडी का डीपीओ,बीपीएम, डीईओ के लिए प्रशिक्षण	1	38	1
7	डीटीसी स्टाफ एनटीईपी के लिए डेटा गुणवत्ता और डेटा विशलेषण पर क्षमता निर्माण	2	58	2
8	फार्मेसी काउंसिल की बैठक	1	14	1
9	सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में विभिन्न समितियों का बैठक	1	34	1
10	आपदा के दौरान स्कूल सुरक्षा पर प्रशिक्षण	5	118	2
11	वित्तीय लेखा ऑडिट	2	38	1
12	परिचारिका की कांउसलिंग	1	34	1
13	क्याक एएलपी गुणवत्ता आश्वासन बैठक	1	10	1
14	Traning for ERakhtkish Portal	1	24	1
15	एसबीएस–जी–चरण 11 पर टीओटी	2	117	2
16	सीबीओ की वार्षिक योजना	6	26	1
17	राज्य स्तरीय शिक्षक कार्यषाला	1	47	1
18	एसबीएमजी के तहत एसएसजी 2023 पर कार्यशाला	1	25	1
19	जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबधन पर प्रशिक्षण	2	34	1
20	जिला स्तरीय एचएमआईएस के प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	1	35	1
21	युडब्ल्युआईएन के राज्यवार पैमाने को बढ़ाने के लिए कार्यशाला	2	70	1
22	विभेदित टीबी देखभाल कार्यशाला	1	55	1
23	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रमोशनल प्रशिक्षण	15	42	1

24	एचपीएसबीवाईएस आरएफपी प्रीबिड बैठक	1	6	1
25	यू–विन पोर्टल के लिए प्रशिक्षण	1	76	1
26	UWIN प्रषिक्षण जिला शिमला	1	62	1
27	एचपीएसबीवाईएस पर प्रस्तुति	1	5	1
28	टीबी मुक्त भारत पर डिप्टी डायरेक्टर , जिला नोडल अधिकारियों, एसडीएएमओ का पुन: अभिमुखीकरण प्रशिक्षण	1	64	1
29	नमुना संग्रह पर प्रयोगशाला तकनीशियन का एक दिवसीय प्रशिक्षण	1	36	1
30	राज्य संसाधन पूल का एक दिवसीय प्रशिक्षण	1	38	1
31	आशा कार्यकर्ताओं का एचबीएनसी प्रशिक्षण	5	54	2
32	नोडल अधिकारियों / एमओ एआरटी सेंटर की समीक्षा बैठक	1	11	1
33	टीबी मुक्त पंचायत अभियान पर राज्य स्तरीय कार्यशाला	1	40	1
34	पीआईपी चर्चा बैठक	1	24	1
35	स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों के लिए कार्यक्रम गतिविधि समन्वय रिपोर्टिंग और निगरानी	5	114	3
36	नयी दिशा केंद्र	5	32	1
37	एनटीईनी के तहत डीबीटीसी मॉडल पर प्रशिक्षण	1	76	2
38	सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण	5	24	1
39	सुविधावार ईडीएल को अंतिम रूप देने के लिए एसओपी	1	15	1
40	हिमाचल प्रदेश में मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए डीएनओ और एनएच और एचएम का प्रशिक्षण	2	22	1
41	सचिव स्वास्थ्य की अध्यकक्षता मे बीएमडब्ल्यु की बैठक	1	26	1
42	पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रमोशनल प्रषिक्षण	15	39	1
43	एसटीआई / आरटीआई परामर्शदाताओं की एक दिवसीय बैठक	1	18	1
44	एचआईवी / एड्स रोकथाम पर सह स्वच्छता सत्र	1	33	2
45	स्टाफ नर्सों के लिए रोगी सुरक्षा , कौशल संवर्धन और एनएचएम कार्यक्रम	5	35	2
46	एनटीईनी के तहत अनुसूची एच 1 कार्यान्वयन पर कार्यशाला	1	57	1
47	स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयन सामुदायिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य शिक्षकों के लिए आईईसी योजना	5	11	1
48	एनएचएम के तहत पीएफएमएस/एसएनए के लिए प्रशिक्षण और एफएमआर/एसओएफपी की तैयारी	3	40	1
49	आईसीटीसी परामर्शदाताओं की दो दिवसीय समीक्षा बैठक	2	135	2
50	STEMI परियोजना के पैमाने पर प्रशिक्षण	1	35	1
51	योग्यता वृद्वि, रेबीज पीईपी और सर्पदंश का नैदानिक प्रबंधन	7	41	1
52	बीटीएस समीक्षा बैठक	1	22	1
53	पुलिस,आईटीबीपी,बीएसएफ, होम गार्ड और एनसीसी का प्रशिक्षण	1	34	1
54	सीआरपी–एचएनती का प्रशिक्षण	2	81	1

55	अंतर्राष्ट्रीय सार्वजानिक स्वास्थ्य प्रबंधन कार्यक्रम	1	38	1
56	एमओ के लिए योग्यता वृद्वि	5	10	1
57	एचडब्ल्युसी पोर्टल का प्रशिक्षण एवं अद्यतनीकरण	4	12	1
58	बीसीजी और टीकाकरण पर राज्य टीओटी	2	46	1
59	एफआईएमएनसीई	5	26	1
60	फार्मेसी काउंसिल की बैठक	1	10	1
61	रोगी सुरक्षा, लैब उपकरण अषंकन , लैब उपकरण और एनएचएम कार्यक्रम	3	16	1
62	4 एलयूएचसी प्रशिक्षण	2	12	1
63	लक्षपति पहल के तहत मास्टर ट्रनर का प्रशिक्षण	2	29	1
64	स्कूल प्रमुखो के तहत एसएलडीपी के लिए केआरपीएस के लिए प्रशिक्षण	5	13	1
65	चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रतिस्पर्धा संवर्धन प्रशिक्षण	5	36	1
66	रोगी सुरक्षा , स्टाफ नर्सों के लिए कौशल वृद्वि	5	30	2
67	सीएचओं के लिए प्रशिक्षण	1	70	1
68	माननीय स्वास्थ्य मन्त्री की अध्यक्षता मे सभी CMO,MS,BMO की बठैक	1	132	1
69	स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों के लिए कार्यक्रम	3	30	1
70	GIE के सहयोग से 4 दिवसीय कार्यशाला	4	32	1
71	चिकित्सा अधिकारियों के लिए योग्यता वृद्वि प्रषिक्षण	5	26	1
72	लिपिक कर्मचारियों के लिए पुन: अभिमुखीकरण प्रशिक्षण	5	32	2
73	रेडियोग्राफर के लिए पुन: अभिमुखीकरण प्रशिक्षण	5	4	1
74	सीएलएफ की व्यवसाय विकास योजना पर प्रशिक्षण	3	3	1
75	एफएम– द्वितीय पर प्रशिक्षण	3	33	1
76	एचआईवी एड्स रोकथाम अधिनियम 2017 पर पीएलएचआईवी मास्टर ट्रेनर का 1 दिवसीय प्रशिक्षण	1	35	1
77	स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों के लिए कार्यक्रम गतिविधि समन्वय , रिपोर्टिंग , निगरानी और मूल्यांकन	5	38	1
78	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों के रूप में प्रमोशनल प्रशिक्षण	15	26	1
79	देखभाल सहयोगी कार्यक्रम पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण	2	60	1

(ii) क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र छैब कांगड़ा में 2022–23 में प्रशिक्षण गतिविधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:–

क्र. सं.	प्रशिक्षण का ब्यौरा	संख्या जो प्रशिक्षित किए गए	दलों की संख्या जो प्रशिक्षित किए गए	प्रशिक्षण की अवधि (दिनों में)
1.	इंडक्शन मॉडयूल प्रशिक्षण सीएचओ के लिए	506	11	18
2.	स्टाफ नर्सों व दाइयों के लिए प्रशिक्षण	127	12	5
3.	फार्मासिस्टो के लिए पुनश्चर्या पाठ्क्रम	65	2	3

4.	चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशासन और वितीय प्रबंधन प्रशिक्षण	64	2	2
5.	पैरामेडिकल स्टाफ के लिए नई दिशा केंद्र	99	2	5
6.	स्टाफ नर्सों के लिए रोगी सुरक्षा कौशल वृद्वि और व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण	93	3	5
7.	चिकित्सा अधिकारियों के लिए जन आरोग्य समिति प्रशिक्षण	24	1	2
8.	फार्मासिस्टो के लिए रेफ्रेशर कौर्स	43	1	3
9.	लैबोरेटरी टेकनीशियन के लिए रोगी सुरक्षा उपकरण अंशाकन और प्रयोगशाला एक्सपोजर वृद्वि और व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण	73	2	3
10.	इंडक्शन मॉडयुल चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण	58	2	6
11.	नोडल अधिकारियों एवं चिकित्सा अधिकारियों के लिए डीटीडीसी का एक दिवसीय प्रशिक्षण	31	1	1
12.	क्षमता निर्माण स्वास्थ्य कार्यक्रम उन्मुखीकरण और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए रिकॉर्ड रखरखाव प्रशिक्षण	16	1	5
13.	एमओ के लिए नए दिशा केंद्र प्रशिक्षण	51	2	4
14.	स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों के लिए समन्वय रिपोंटिग निगरानी और मूल्यांकन प्रशिक्षण	24	1	5
15.	इंडक्शन मॉडयुल प्रशिक्षण सीएचओ के लिए	165	5	5
16.	वार्ड सिस्टर के लिए नर्सिंग नेतृत्व और वार्ड प्रबधंन प्रशिक्षण	34	1	5
17.	चिकित्सकों के लिए एफ– आईएमएनसीआई प्रशिक्षण	28	1	5
18.	नेत्र चिकित्सा अधिकारियों के लिए क्षमता निमार्ण और कौशल वर्धन प्रशिक्षण	21	1	5
19.	प्रोजेक्ट अक्षय प्लस पीएमटीपीटी ट्रांजिशन प्रशिक्षण	48	1	2
20.	बाल सुपोषण योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर प्रशिक्षित करने हेतु प्रशिक्षण	23	1	2
21.	आईएमएनसीआई	63	2	5
22.	फार्मासिस्टो के लिए डीवीडी प्रशिक्षण	86	1	1
23.	सीएचओ का संवेदीकरण	189	4	1
24.	एचबीवाईसी प्रशिक्षण	136	4	5
25.	एचआईवी/ एड्स की रोकथाम पर सीडीपीओ के लिए प्रशिक्षण	28	1	2
26.	बल संरक्षण समारोह पर प्रशिक्षण	46	1	4
27.	जेंडर बजटिंग के संबंध में मध्य स्तर के अधिकारियों का प्रशिक्षण	197	1	3
28.	राष्ट्रीय टीबी उन्मुलन कार्यक्रम में नवीनतम अपडेट पर सीएमई कार्यक्रम	58	1	1

14.सूचना का अधिकार अधिनियम :–

सूचनाका अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (।) b-(xvi) के अंतर्गत सूचना उपलब्ध करवाने के लिये निम्न अधिकारियों को नामित किया गया हैः–

क्र. सं.	राज्य लोक सूचना अधिकारी का नाम	पदनाम तथा कार्यालय का पता	अधिकार क्षेत्र
1	लोक प्राधिकारी	प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) हिमाचल प्रदेश सरकार।	हिमाचल प्रदेश राज्य
2	अपील प्राधिकारी	निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हि.प्र.	हिमाचल प्रदेश राज्य
3	राज्य लोक सूचना अधिकारी	निदेशक दंत स्वास्थ्य सेवाएं, हि.प्र,	हिमाचल प्रदेश राज्य
		निदेशक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनिमय	हिमाचल प्रदेश राज्य
		प्रधानाचार्य इंदिरा गांधी मैडिकल कालेज, शिमला	हिमाचल प्रदेश राज्य
		प्रधानाचार्य डा0 राजेंद्र प्रसाद राजकीय मैडिकल कालेज, टांडा	हिमाचल प्रदेश राज्य
		प्रधानाचार्य लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सा महाविधालय नैरचोक	हिमाचल प्रदेश राज्य
		प्रधानाचार्य राधा कृष्णन चिकित्सा महाविधालय हमीरपुर	हिमाचल प्रदेश राज्य
		प्रधानाचार्य डॉ0 वाई0एस0पी0चिकित्सा महाविधालय नाहन	हिमाचल प्रदेश राज्य
		प्रधानाचार्य पंडित जवाहर लाल नैहरु चिकित्सा महाविधालय चम्बा	हिमाचल प्रदेश राज्य
		विशेष सचिव/संयुक्त सचिव /अवर सचिव	हिमाचल प्रदेश राज्य
4	लोक सूचना अधिकारी	मिशन निदेशक	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हि0प्र0
		अतिरिक्त निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हिमाचल प्रदेश	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय हि0प्र0
		निदेशक परियोजना	एड्स नियंत्रण सोसायटी हि0 प्र0 ।
		मुख्य चिकित्सा अधिकारी	अपने–अपने जिले के लिये।
		प्रधानाचार्य, राज्य संस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परीमहल शिमला / क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र छेब (कांगडा)	अपने–अपने संस्थान के लिये ।
		चिकित्सा अधीक्षक	अपने–अपने संस्थान के लिये ।

		उपलोक विश्लेषक कंडाघाट, सोलन	संयुक्त जांच प्रयोगशाला कंडाघाट
		सहायक औषधि नियंत्रक बद्दी, सोलन	हिमाचल प्रदेश में औषधि नियंत्रण प्रशासन के लिये
5	सहायक लोक सूचना अधिकारी	खंड चिकित्सा अधिकारी	अपने–अपने खंड के लिये

15. प्रदेश में राज्य, जिला तथा खण्ड स्तर के कार्यालयों में दूरभाष की सूची

सचिवालय स्तर पर

क्रमांक	पदनाम	कोड	कार्यालय टेलीफोन नं0
1	प्रधान सचिव (स्वास्थ्य), हि0 प्र0	0177	2621904
2	विशेष सचिव (स्वास्थ्य), हि0 प्र0	0177	2621815
3	संयुक्त सचिव (स्वास्थ्य), हि0 प्र0	0177	2628505
	निदेशालय स्तर पर		
4	निदेशक स्वास्थ्य सेवायें, हि0 प्र0	0177	2621424
5	मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हि0 प्र0	0177	2673505
6	अतिरिक्त निदेशक (स्वास्थ्य), हि0 प्र0	0177	2628252
7	संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य सेवायें –I	0177	2620661
8	संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य सेवायें – II	0177	2621846
9	संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य सेवायें – III	0177	2625726
10	परियोजना निदेशक, (एड़स नियंत्रण कार्यक्रम)	0177	2625857
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (आर.एस.बी.वाई.)	0177	2629802
12	सहायक निदेशक(जनानकी एवं अनुसंधान.)	0177	2621720
13	सहायक निदेशक(सांख्यिकीय)	0177	2621720
	जिला स्तर पर		
14	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिलासपुर	01978	222586
15	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्बा	01899	222223
16	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमीरपुर	01972	222223
17	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कांगडा स्थित धर्मशाला	01892	224874
18	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, किन्नौर स्थित रिकांगपिओ	01786	222922
19	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुल्लू	01902	223077
20	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लाहौल–स्पिति स्थित केलांग	01900	222243
21	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मण्डी	01905	222177
22	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शिमला	0177	2657225
23	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिरमौर स्थित नाहन	01702	222543
24	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सोलन	01792	224181
25	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊना	01975	226064
	वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक		
26	वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, टांडा (कांगडा)	01892	287187
27	वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, आई.जी.एच., शिमला	0177	2658845
28	वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, कमला नेहरू अस्पताल, शिमला	0177	2624841
29	वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक,मनोरोग चिकित्सालय, शिमला	0177	2633601
30	वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, टी.बी.एस. धर्मपुर, सोलन	01792	264022
31	वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, आंचलिक चिकित्सालय धर्मशाला	01892	227595, 224812
32	वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, आंचलिक चिकित्सालय , मण्डी	01905	222928
33	वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, आंचलिक चिकित्सालय, शिमला	0177	2759041

क्रमांक	पदनाम	कोड	कार्यालय टेलीफोन नं0
34	वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, बिलासपुर	01978	221242
35	वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, चम्बा	01899	225170
36	वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, हमीरपुर	01972	222222
37	वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, कुल्लू	01902	222350
38	वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, नाहन	01702	224890
39	वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, सोलन	01792	223638
40	वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, ऊना	01975	223068
41	वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, रामपुर	01782	234969
42	वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, रोहडू	01781	240011
43	वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, पालमपुर	01894	234101
	अन्य कार्यालय		
44	प्रधानाचार्य राज्य संस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, परिमहल, शिमला	0177	2620226
45	प्रधानाचार्य क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, छैब, कांगडा	01892	265472
46	उप–लोक विश्लेषक (खाद्य) कण्डाघाट, सोलन	01792	256145
47	सहायक औषधि नियंत्रक बद्दी, सोलन	01795	244288

	खण्ड स्तर पर		
48	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, घुमारवीं, बिलासपुर	01978	255238
49	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, मारकण्ड, बिलासपुर	01978	286026
50	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, झण्डुता, बिलासपुर	01978	272024
51	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, श्री नैना देवी जी, बिलासपुर		
52	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, भरमौर, चम्बा	01895	225044
53	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, किलाड़, चम्बा	01897	242246
54	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, पुखरी, चम्बा	01899	202952
55	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, चुड़ी, चम्बा	01899	279629
56	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, किहार (सलूनी), चम्बा	01896	247638
57	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, तीसा, चम्बा	01896	227050
58	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, समोट, चम्बा	01899	227011
59	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, टौणी देवी, हमीरपुर	01972	278434
60	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, बड़सर, हमीरपुर	01972	288034
61	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, नादौन, हमीरपुर	01972	232248
62	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, भौरंज, हमीरपुर	01972	266026
63	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सुजानपुर टिहरा, हमीरपुर	01972	272043
64	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, गलोड, हमीरपुर	01972	242027
65	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, थुरल, कांगड़ा	01894	276634
66	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, नगरोटा बगवां, कांगड़ा	01892	252294
67	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, शाहपुर, कांगड़ा	01892	238038
68	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, गंगथ, कांगड़ा	01893	275042
69	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, इन्दौरा, कांगड़ा	01893	241239
70	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, ज्वालामुखी, कांगड़ा	01970	222237

क्रमांक	पदनाम	कोड	कार्यालय टेलीफोन नं0
71	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, भवारना, कांगड़ा	01894	247158
72	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, नगरोटा सूरियां, कांगड़ा	01893	265042
73	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, डाडासिबा, कांगड़ा	01970	289237
74	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, गोपालपुर, कांगड़ा	01894	252226
75	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, त्याडा, कांगड़ा	01892	232313
76	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, महाकाल, कांगड़ा	01894	265301
77	खण्ड चिकित्सा अधिकारी,फतेपुर, कांगड़ा		
78	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, निचार, किन्नौर	01786	252275
79	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, पूह, किन्नौर	01785	232338
80	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सांगला, किन्नौर	01786	242403
81	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, जरी, कुल्लू	01902	276257
82	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, नग्गर, कुल्लू	01902	248294
83	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, बंजार, कुल्लू	01903	222214
84	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, आनी, कुल्लू	01904	253334
85	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, निरमण्ड, कुल्लू	01904	255129
86	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, काज़ा, लाहौल–स्पिति	01906	222218
87	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, गौंधला, लाहौल–स्पिति	01900	252119
88	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, करसोग, मण्डी	01907	222218
89	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, जंजैहली, मण्डी	01907	256512
90	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, बगसैड, मण्डी	01907	254225
91	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, रोहाण्डा, मण्डी	01907	274120
92	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, संधोल, मण्डी	01905	273223
93	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, बल्द्वाडा, मण्डी	01905	258053
94	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, रत्ती, मण्डी	01905	242296
95	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, कोटली, मण्डी	01905	281231
96	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, पधर, मण्डी	01908	260228
97	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, लड़भड़ोल, मण्डी	01908	278140
98	खण्ड चिकित्सा अधिकारी,कटौला, मण्डी	01905	269451
99	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, कुमारसैन, शिमला	01782	240063
100	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, ननखड़ी, शिमला	01782	225609
101	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, कोटखाई, शिमला	01783	255327
102	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, चिड़गांव, शिमला	01781	277223
103	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, मशोबरा, शिमला	0177	2740230
104	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, मतियाणा, शिमला	01783	225222
105	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, टिक्कर, शिमला	01781	233400
106	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, नेरवा, शिमला	01783	264338
107	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, रामपूर, शिमला	01782	233602
108	खण्ड चिकित्सा अधिकारी,सुन्नी, शिमला	0177	2786634
109	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सराहन, सिरमौर	01799	236731
110	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, शिलाई, सिरमौर	01704	278542
111	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, संगडाह, सिरमौर	01702	248191
112	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, राजपूरा, सिरमौर	01704	248618

क्रमांक	पदनाम	कोड	कार्यालय टेलीफोन नं0
113	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, धगेड़ा, सिरमौर	01702	223097
114	खण्ड चिकित्सा अधिकारी राजगढ सिरमौर		
115	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, अर्की, सोलन	01796	220368
116	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सायरी, सोलन	01792	288056
117	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, धर्मपुर, सोलन	01792	264025
118	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, नालागढ़, सोलन	01795	221204
119	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, चण्डी, सोलन	01792	278555
120	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, बद्दी, सोलन		
121	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, हरोली, ऊना	01975	284022
122	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, गगरेट,ऊना	01976	241319
123	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, थाना–कलां, ऊना	01975	273036
124	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, अम्ब, ऊना	01976	260274
125	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, बसदेहरा, ऊना		

यह सूचना विभागीय वेबसाईट**www.hphealth.nic.in** पर भी उपलब्ध है ।